

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-52, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित



16 जुलाई 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

समीक्षा बैठक

नवा रायपुर बनेगा आदर्श मॉडल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आवास एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में नवा रायपुर के विकास की नई रूपरेखा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर को भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित किया जाएगा, जिससे यह स्मार्ट, टिकाऊ और रोजगारोन्मुखी शहर बने। मुख्यमंत्री ने रेल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स हब, ऑक्सीजन, आयोग भवन परिसर, महिला हॉस्टल, अस्पताल और नवीन थाना जैसी सुविधाओं के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

छग मॉडल राज्य

छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान

छत्तीसगढ़ को डीएमएफ के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। नेशनल डीएमएफ वर्कशॉप में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। छत्तीसगढ़ ने डीएमएफ पोर्टल में 90% डेटा अपलोड कर पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण पेश किया है। राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है।

एक और गारंटी पूरी

रेडी टू ईट कार्य महिला समूह को

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में 10 महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट (तत्काल आहार) निर्माण एवं वितरण का कार्य सौंपा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप यह पहल बच्चों को पौष्टिक आहार और महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ठोस अवसर सुनिश्चित करेगी। रायगढ़ जिले के सभी 2709 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब रेडी टू ईट आहार का वितरण महिला समूहों द्वारा किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

युवाओं, किसानों, व्यापारियों के लिए विकास का रोडमैप तैयार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान, वंचित वर्गों के लिए पैनआईआईटी के साथ संयुक्त उद्यम, छात्र स्टार्टअप नीति, राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना, भू-राजस्व संहिता में संशोधन, जीएसटी एवं मोटरयान अधिनियम में बदलाव जैसे निर्णय शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने दी सौगात: 72.73 करोड़ के 61 कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण-भूमिपूजन, 6 बड़ी घोषणाएं

पंडरिया में बनेगा 250 सीटर नालंदा परिसर



08 एंबुलेंस सुविधा



20,000 मोबाइल हेल्थ में लैब जांच



07 सेवा केंद्र

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास की बड़ी सौगातें दीं। खराब मौसम के कारण कार्यक्रम स्थल पर ना पहुंच पाने के बावजूद मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 72.73 करोड़ रुपये की लागत के 61 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों के लिए 6 अहम घोषणाएं भी कीं, जिससे शिक्षा, प्रशासन, सड़क और नगरीय सुविधा से जुड़े क्षेत्र में व्यापक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

छात्रों के लिए सौगात 5 निशुल्क बसों की

पंडरिया विधायक भावना बोहरा की पहल पर कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए 5 मुफ्त बसों का शुभारंभ किया गया। इससे दूरदराज की छात्राओं को कॉलेज पहुंचने में सुविधा होगी।



महतारी
सम्मान
अलंकरण से
सशक्त हुई
महिलाएं

मुख्यमंत्री श्री साय की मौजूदगी में 'महतारी सम्मान अलंकरण समारोह' का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं और छात्राओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करने वाली बैगा महिलाएं - जगतीन बाई, तितरी बाई और बलि बाई को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

6 बड़ी घोषणाएं बदलेंगी पंडरिया का चेहरा

- रणवीरपुर में नई उप तहसील की स्थापना: ग्रामीणों को अब प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
- पंडरिया में 250 सीटर 'नालंदा परिसर' की स्थापना: यह परिसर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बनेगा।
- बीरेंद्रनगर में नया महाविद्यालय: स्थानीय युवाओं को मिलेगा उच्च शिक्षा का अवसर।
- कुंडा में कॉलेज भवन का निर्माण: छात्रों को मिलेगा बेहतर शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
- पंडरिया नगर पालिका के लिए नए कार्यालय भवन का निर्माण: शहरी विकास को मिलेगा नया आधार।
- बिशेशर नाला से हरि नाला तिराहा तक सड़क चौड़ीकरण: आवागमन में होगी सहूलियत, व्यापारिक गतिविधियां होंगी तेज।

स्रोत: <https://dprcg.gov.in/>

जशप्योर वैश्विक ब्रांड: उद्योग विभाग को सौंपा जाएगा ट्रेडमार्क

जशप्योर ब्रांड को उद्योग विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है, जिससे यह महिला केंद्रित आदिवासी ब्रांड राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएगा। जशपुर की आदिवासी महिलाओं द्वारा तैयार किए गए महुआ और मिलेट आधारित उत्पाद अब देश के एयरपोर्ट्स और विदेशी बाजारों तक पहुंच सकेंगे। जशप्योर को संस्थागत ब्रांडिंग, उत्पादन विस्तार और बेहतर मार्केटिंग के साथ लोकल से ग्लोबल की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएगा।



उत्पाद बना रहे हैं अपनी अलग पहचान

जशप्योर द्वारा महुआ और अन्य वनोपज को शामिल करते हुए कई प्रकार के पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इनमें महुआ आधारित उत्पाद जैसे महुआ नेक्टर, महुआ वन्यप्राश, महुआ कुकीज़, रागी महुआ लड्डू, महुआ कैडी और महुआ नेक्टर कोकोआ शामिल हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में मिली सराहना ने इसकी गुणवत्ता और लोकप्रियता को और मजबूत किया है।

मैनपाट

बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मैनपाट में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर सीसी रोड व मंदिर शेड निर्माण हेतु 30 लाख रुपये के कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैनपाट शांति और समावेश की नई पहचान बनेगा। तिब्बती समुदाय के आत्मीय स्वागत से वे अभिभूत हुए। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

धुड़मारास

सौर ऊर्जा से जगमगाया विश्वस्तरीय ईको-टूरिज्म गांव

बस्तर के धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर गांव में क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाएं संचालित की गईं, जिससे स्वच्छ जल, स्ट्रीट लाइट और स्कूलों में बिजली की व्यवस्था हुई। कांगेर नदी में कयाकिंग, बांस राफ्टिंग जैसी गतिविधियों से युवाओं को रोजगार मिला। ईको-पर्यटन समिति, होम-स्टे, ट्रेकिंग ट्रेल और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर गांव को आत्मनिर्भर और सतत विकास का मॉडल बनाया गया है।



सशक्तिकरण के लिए ज्वाइंट वेंचर

छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के बीच संयुक्त रूप से एक गैर-लाभकारी कंपनी का गठन होगा। इसका उद्देश्य है- अनुसूचित जनजाति, गरीब, महिलाएं और तृतीय लिंग समुदाय को कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाना।

भू-राजस्व संहिता में संशोधन से मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2025 के तहत नक्शा बंटवारे और अभिलेखों के अद्यतन में सहूलियत, अवैध प्लॉटिंग पर रोक, जियो-रेफरेंस नक्शों से विवादों में कमी, भूमि हस्तांतरण व नामांतरण की प्रक्रिया होगी आसान।

शेष पेज 3 पर

स्रोत: <https://dprcg.gov.in/>



रिक्तमैट नोटिस

SGPGI

पद: नर्सिंग ऑफिसर सहित अन्य
पद संख्या: 1479
अंतिम तिथि: 18 जुलाई
sgpgims.org.in

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग

पद: असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिच्यूटर
पद संख्या: 134
अंतिम तिथि: 21 जुलाई
ssc.jharkhand.gov.in

पंजाब सिविल सर्विस

पद: नायब तहसीलदार
पद संख्या: 151
अंतिम तिथि: 21 जुलाई
www.sssb.punjab.gov.in

सीजी अग्निशमन विभाग

पद: ड्राइवर सहित अन्य
पद संख्या: 295
अंतिम तिथि: 31 जुलाई
ceghged.gov.in

आरआरबी

पद: टेक्नीशियन
पद संख्या: 6180
अंतिम तिथि: 28 जुलाई
rrapply.gov.in

गुवाहाटी हाईकोर्ट

पद: जू. एडमिनिस्ट्रेटिव असि.
पद संख्या: 367
अंतिम तिथि: 31 जुलाई
www.sghconline.gov.in

जामिया मिलिया

पद: नॉन टीचिंग
पद संख्या: 143
अंतिम तिथि: 31 जुलाई
<http://jmi.ac.in/>



रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक

डॉ. रवि मितल

संपादक

जवाहर लाल दरियो

सहायक संपादक

गीतांजलि नेताम

संपादकीय

संदीप सिन्हा

ऑफिस डिजाइन-इलेस्ट्रेशन

धनेश कुमार दिवाकर

डाटा एंट्री ऑपरेटर

अंजु रानी, राकेश साहू

वितरण व्यवस्था

विकास ताम्रकार

- कार्यालय पता -

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,

अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

फोन-0771-2512582, 2512583

ईमेल पता

rojgaraurmijojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन नि:शुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक



झरनों की रानी जतमई: बारिश में निखरा प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के जतमई जलप्रपात में लगातार बारिश ने सौंदर्य कई गुना बढ़ा दिया है...

सरकारी बैंकों में अफसर बनने का सुनहरा मौका

सरकारी बैंकों में अफसर की पोस्ट के लिए अगस्त महीने से तीन बड़ी प्रवेश परीक्षा होने वाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा- लोकल बैंक ऑफिसर, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीनों परीक्षाओं के लिए आवेदन जुलाई के तीसरे हफ्ते तक कर सकते हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा

पद: लोकल बैंक ऑफिसर
कुल पद: 2500
अंतिम तिथि: 24 जुलाई 2025

शैक्षणिक योग्यता:

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
- एक साल का कार्य अनुभव
- स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक
- वेतनमान: 48,480 से 85,920 प्रतिमाह

चयन प्रक्रिया:

- ऑनलाइन परीक्षा
- साइकोमेट्रिक टेस्ट
- भाषा दक्षता परीक्षण
- ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू

आईबीपीएस

पद: प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO)
कुल पद: 5208
अंतिम तिथि: 21 जुलाई 2025

शैक्षणिक योग्यता:

किसी भी विषय में स्नातक
आयु सीमा: 20 से 30 वर्ष

बैंक: 11 सरकारी बैंक

बड़े बदलाव:

- अब रीजनिंग सेक्शन 40 अंकों का होगा (पहले 35 अंक थे)
- क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वेटेज कम किया गया
- मेन्स में बैंकिंग अवेयरनेस और रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या में भी कमी

युवाओं के लिए सलाह:

आईबीपीएस पीओ में जनरल नॉलेज और रीजनिंग पर फोकस है, वहीं एसओ के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। तैयारी करते वक्त पिछले साल के पेपर जरूर देखें और बैंकिंग करंट अफेयर्स पर खास ध्यान दें।

तैयारी के लिए सुझाव

- प्रत्येक परीक्षा की प्रकृति अलग है - PO में जनरल अवेयरनेस व रीजनिंग पर जोर, जबकि SO में टेक्निकल ज्ञान अहम।
- पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र देखें
- बैंकिंग व आर्थिक करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी करें

आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर

आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO)
कुल पद: 1007
अंतिम तिथि: 21 अगस्त 2025

शैक्षणिक योग्यता:

स्नातक या स्नातकोत्तर

पोस्ट वाइज वैकेंसी:

- एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर: 310
- आईटी ऑफिसर: 203
- लॉ ऑफिसर: 56
- मार्केटिंग ऑफिसर: 350
- राजभाषा अधिकारी: 78
- एचआर/पर्सनल: 10

चयन प्रक्रिया: प्रीलिम्स + मेन्स + इंटरव्यू

19 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 25 जुलाई तक

असिस्टेंट, एक्सीलियरी, इंकमैन/इंकर, जूनियर बाइंडर, हमाल, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, भृत्य, हेल्पर आदि के 19 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम द्वारा 31 अगस्त को किया जाएगा। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट <https://vyapamcg-state.gov.in/> पर उपलब्ध है।

पीएलवी के 10 पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई

नालसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत महासमुंद जिले में पैरा-लीगल वॉलंटियर (PLV) के 10 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 21 जुलाई 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विधिक सेवा में रुचि रखने वाले समाजसेवी, विधि छात्र तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन के लिए पात्र हैं। आवेदन जिला न्यायालय महासमुंद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर रजिस्टर्ड डाक, कोरियर अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय, महासमुंद में जमा किए जा सकते हैं।

बिहार के विशेष विद्यालयों में 7,279 शिक्षकों की भर्ती

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने राज्य के विशेष विद्यालयों में 7,279 शिक्षक पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। पात्रता के लिए अभ्यर्थी के पास 12वीं या स्नातक डिग्री के साथ विशेष शिक्षा में डी.एल.एड. अथवा बी.एड. तथा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी bpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एसजीपीजीआई, लखनऊ में 1,479 पदों पर भर्ती

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ने नर्सिंग ऑफिसर सहित 1,479 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है। इनमें नर्सिंग ऑफिसर के 1,200 पद, तथा स्टेनोग्राफर, लेखा अधिकारी, ओटी सहायक, स्टोर कीपर आदि पद शामिल हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा अथवा बी.एससी नर्सिंग निर्धारित की गई है। 18 जुलाई 2025 तक वेबसाइट www.sgpgims.org.in पर आवेदन कर सकते हैं।

एसएससी में जूनियर इंजीनियर के 1,340 पदों पर भर्ती

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर के 1,340 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी 21 जुलाई 2025 तक आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखाओं के लिए है। पात्रता के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित शाखा में डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होना आवश्यक है।



छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता के पोस्टर का किया विमोचन



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया। यह प्रतियोगिता 21 अगस्त 2025 तक आयोजित की जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी परंपराओं के पुनरुद्धार पर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता का वातावरण तैयार करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए भावी पीढ़ियों को जागरूक और संवेदनशील बनाना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त नहीं रहे

पूर्व रक्षा सचिव एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त का 2 जुलाई को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में निधन हो गया। शेखर दत्त ने अपने सेवाकाल में रक्षा सचिव और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डिप्टी एनएसए) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1969 बैच के अधिकारी थे और उन्होंने मध्यप्रदेश कैडर में सेवाएं दी थीं। श्री शेखर दत्त छत्तीसगढ़ के चौथे राज्यपाल रहे। उनका कार्यकाल 23 जनवरी 2010 से 14 जुलाई 2014 तक रहा।

पेज 1 का शेष: युवाओं, किसानों, व्यापारियों के लिए विकास का रोडमैप तैयार

राज्य पुलिस को मिला वरिष्ठ प्रवर वेतनमान
2005 से 2009 बैच तक के पुलिस सेवा अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने हेतु 30 सांख्येतर पदों का सृजन किया गया है। इससे कैडर प्रबंधन में सुधार होगा और अधिकारी वर्ग में मनोबल बढ़ेगा।

वाहनों से दुर्घटनाओं और प्रदूषण पर नियंत्रण
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन का मसौदा मंजूर किया गया। इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और प्रदूषण में कमी आएगी।

पुराने वाहनों के नंबरों का दोबारा उपयोग संभव
छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम-1994 में संशोधन के तहत वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहन के पसंदीदा नंबर को नए वाहन में उपयोग कर सकेंगे। यह सुविधा नए पंजीयन या अन्य राज्य से लाए गए वाहन पर ही लागू होगी। सरकारी वाहनों को इसके लिए शुल्क नहीं देना होगा।

निजी विधि अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई जिससे राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और निगरानी को मजबूत किया जा सकेगा।

छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति लागू
राज्य के 50,000 छात्रों तक नवाचार की पहुंच बनाने वाली इस नीति के अंतर्गत- 500 प्रोटोटाइप्स को सपोर्ट, 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट, 500 आईपीआर फाइलिंग, कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, विनिर्माण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा।

अधिकारी-कर्मचारी को शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टोकॉरेंसी खरीदी पर रोक

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में बड़ा बदलाव किया है। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी के लिए कुछ शेयर ट्रेडिंग में रोक लगा दी गई है। राजपत्र में इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश के अधिकारी कैमचारी इंड्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसके साथ उनके लिए क्रिप्टोकॉरेंसी की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसे सरकार ने कदाचार माना है।

पीएम जनमन योजना से रोशन हुई 7204 जनजातीय बसाहटें

छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की 7204 बसाहटों में बिजली पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर इन बसाहटों में छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी और अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा बिजली लाइन और सोलर पैनल से विद्युतीकरण किया गया। 7292 बसाहटों में से 7120 में बिजली लाइन से और 84 में सौर ऊर्जा से सुविधा दी गई है। यह कार्य 18 जिलों के सुदूर क्षेत्रों में हो रहा है, जिससे आदिवासी अंचलों में विकास की नई रोशनी पहुंच रही है।

छत्तीसगढ़ में उर्वरकों की कोई कमी नहीं, नैनो डीएपी से मिलेगा किसानों को लाभ

खरीफ 2025 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उर्वरकों की प्रभावी आपूर्ति और भंडारण सुनिश्चित किया है। डीएपी की कमी को देखते हुए राज्य में एनपीके, सुपर फास्फेट और नैनो डीएपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों की व्यवस्था की गई है।

स्रोत : <https://dprcg.gov.in/>

कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन
कृषक हितैषी निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई है।

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को समाहित करते हुए State Capital Region Authority के गठन को मंजूरी मिली है। यह प्राधिकरण समन्वित योजना निर्माण, भूमि उपयोग, निवेश संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करेगा। 2031 तक अनुमानित 50 लाख आबादी के लिए योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

जीएसटी संशोधन विधेयक को स्वीकृति
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 से इनपुट सेवा वितरक के नियमों में पारदर्शिता और केंद्र के वित्त अधिनियम के अनुरूप बदलाव सुनिश्चित होंगे।

लंबित कर मामलों के समाधान की दिशा में फैसला
छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई है जिससे छोटे व मध्यम व्यापारियों को राहत मिलेगी और अदालतों में लंबित मामले जल्द निपटेंगे।

पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई, जिससे पत्रकारिता शिक्षा को आधुनिक संदर्भों से जोड़ा जा सकेगा।

राष्ट्रीय

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ युद्धपोत आईएनएस तमाल



रूस निर्मित शक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। यह युद्धपोत केलिनिनग्राद से 20,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचा है। आईएनएस तमाल अत्याधुनिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दागने में सक्षम है, जो इसे दुश्मन के खिलाफ सटीक और प्रभावशाली हमला करने की क्षमता प्रदान करता है।

असम की 'बैगलेस टी' को बीस वर्षों के लिए पेटेंट स्वीकृत

असम के उद्यमियों द्वारा विकसित की गई अनोखी 'बैगलेस टी' प्रौद्योगिकी को पेटेंट स्वीकृत किया गया है। इस तकनीक को 'Compressed Two Whole Leaf Tea Hips and Method Thereof' के नाम से बीस वर्षों के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट में भर्ती एवं पदोन्नति में एससी-एसटी आरक्षण लागू

सुप्रीम कोर्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए पहली बार औपचारिक आरक्षण नीति को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के कर्मियों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 15% तथा अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

रेल यात्रियों को बड़ी सौगात: 'RailOne' ऐप का शुभारंभ

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 'RailOne' ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप टिकट बुकिंग, ट्रेन पूछताछ, पीएनआर स्थिति, यात्रा योजना, रेल मदद, और ट्रेन में भोजन जैसी सुविधाओं का एकीकृत डिजिटल समाधान प्रदान करता है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS, दोनों डिजिटल मंचों पर उपलब्ध है। इसमें सिंगल साइन-ऑन सुविधा दी गई है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता Rail-Connect या UTSonMobile आईडी से सीधे लॉगिन कर सकते हैं। RailOne ऐप के माध्यम से यात्रियों को भारतीय रेलवे की सभी प्रमुख सेवाएं एक ही स्थान पर प्राप्त होंगी, जिससे उनकी यात्रा और अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बन सकेगी।

बाइक से कर सकेंगे सवारी, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 के अंतर्गत निजी मोटरसाइकिलों से यात्रियों को ढोने की अनुमति प्रदान की है। हालांकि, इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा। 1 जुलाई 2025 से लागू इस नए नियम से ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकारें इन सेवाओं के संचालन के लिए एग्रीगेटर्स से शुल्क वसूलने के अधिकार से युक्त होंगी। इस नीति के लागू होने से ट्रैफिक और प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही लोगों को सस्ती यात्रा सुविधा और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

एयर मार्शल एस. शिवकुमार ने एयर ऑफिसर-इन-चार्ज प्रशासन का कार्यभार संभाला

भारतीय वायु सेना (IAF) के वरिष्ठ और अत्यधिक सम्मानित अधिकारी एयर मार्शल एस. शिवकुमार ने नई दिल्ली स्थित वायु सेना मुख्यालय में वायु अधिकारी-इन-चार्ज प्रशासन (AOA) के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एयर मार्शल शिवकुमार जून 1990 से भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहे हैं, जब उन्होंने प्रशासन शाखा में कमीशन प्राप्त किया था। उन्होंने पांडिचेरी विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में एमबीए तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में एमफिल की उपाधि प्राप्त की है।

आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर विंग्स ऑफ गोल्ड भी मिला

भारतीय नौसेना को पहली बार एक महिला फाइटर पायलट मिली है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को नौसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल कर लिया गया है। साथ ही उन्हें 'विंग्स ऑफ गोल्ड' सम्मान भी दिया गया है। यह सम्मान उन्हें रियर एडमिरल जनक बेवली ने दिया, जो नेवस स्टाफ (एयर) के असिस्टेंट चीफ हैं। आस्था पुनिया ने आईएनएस डेगा, विशाखापट्टनम में आयोजित सेकंड बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स की ट्रेनिंग पूरी की। उनके साथ लेफ्टिनेंट अतुल कुमार धुल को भी यह सम्मान मिला है। यह कोर्स नौसेना की एविएशन विंग के लिए बेहत अहम माना जाता है।

अनंत टेक शुरू करेगी देश की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा

हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजी वर्ष 2028 से देश की पहली निजी सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। इन-स्पेस से मंजूरी मिलने के बाद, कंपनी 3,000 करोड़ रुपये का निवेश कर 4 टन वजन की सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी कक्षा में तैनात करेगी, जो 100 Gbps तक की डेटा स्पीड उपलब्ध कराएगा। यह सेवा पूरी तरह से भारत में विकसित तकनीक पर आधारित होगी। इसका उद्देश्य देश के कोने-कोने तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। यह कदम भारत को स्टारलैंक, वनवेब और अमेज़न जैसी वैश्विक कंपनियों के समकक्ष खड़ा करेगा।

शिक्षा ऋण के लिए सरकारी बैंकों को 15 दिन में निर्णय देना अनिवार्य

सरकारी बैंकों को अब शिक्षा ऋण की आवेदन प्रक्रिया एक माह के बजाय 15 दिनों में पूरी करनी होगी। बैंकों को इन्हीं 15 दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर उसकी सूचना आवेदक को देनी होगी। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को इसके लिए केंद्रीकृत क्रेडिट प्रक्रिया प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, ऋण की स्वीकृति उपयुक्त दस्तावेज, सह-आवेदक या गारंटर की उपस्थिति तथा अन्य पात्रता मापदंडों पर निर्भर करेगी। ऋणदाताओं को आवेदन प्राप्ति के तीन से पांच कार्यदिवसों के भीतर प्राथमिक निर्णय लेना होगा।

पनडुब्बी-रोधी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण, नौसेना की सामरिक क्षमता में बढ़ोतरी

भारत ने लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम पनडुब्बी-रोधी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इस सफलता से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, लंबी दूरी तक मार करने वाली पनडुब्बी-रोधी रॉकेट प्रणाली (ERASR) का परीक्षण आईएनएस कवरत्ती से सफलतापूर्वक किया गया। यह परीक्षण समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाएगा और पनडुब्बी खतरों से निपटने में नौसेना को बढ़त दिलाएगा।



अंतरराष्ट्रीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान



त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। यह सम्मान किसी भी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया 25वां अंतरराष्ट्रीय नागरिक सम्मान है।

भारत-नामीबिया संबंधों में नया अध्याय कई समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और नामीबिया ने उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में नामीबिया की राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह से द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। नामीबिया ने CDRI और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की सहमति भी दी। प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। यह पिछले तीस वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी नामीबिया यात्रा है।

प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शिएंट वेल्विचिया मिराबिलिस' से सम्मानित किया गया है। विंडहोक में नामीबिया की राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को विदेश में मिला 27वां और इस दौरे का चौथा सम्मान है।

वैज्ञानिकों को मिली सबसे पुरानी चट्टान खुलेंगे पृथ्वी के इतिहास के रहस्य

वैज्ञानिकों को पृथ्वी की अब तक की सबसे प्राचीन चट्टान का पता चला है। यह चट्टान कनाडा के नुव्नुआगिटुक ग्रीनस्टोन बेल्ट में पाई गई है, जिसकी आयु लगभग 4.16 अरब वर्ष आंकी गई है। यह खोज पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के अज्ञात रहस्यों को उजागर कर सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चट्टान हेडियन युग से भी पहले की मानी जा रही है, जो पृथ्वी के निर्माण काल की महत्वपूर्ण जानकारी अपने भीतर समेटे हुए है। इन चट्टानों के अध्ययन से पृथ्वी की उत्पत्ति, आंतरिक संरचना और प्रारंभिक जीवन के संकेतों के बारे में नई जानकारी मिल सकती है।

शुमांशु के बाद अब अनिल मेनन भी जाएंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री डॉ. अनिल मेनन को आगामी अंतरिक्ष मिशन हेतु नामित करने की घोषणा की है। डॉ. मेनन जून 2026 में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमॉस के सोयूज एमएस-29 यान से, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए उड़ान भरेंगे। वे इस मिशन में फ्लाइट इंजीनियर

और एक्सपीडिशन-75 के दल सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इस अभियान में रोस्कोसमॉस के दो अन्य अंतरिक्ष यात्री भी भाग लेंगे। टीम आठ महीनों तक आईएसएस में अनुसंधान कार्य करेगी।

कुत्ते के आकार के नए डायनासोर की हुई खोज तेज दौड़ लगाते थे

वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति के डायनासोर की खोज की है, जो आकार में कुत्ते जितने होते थे। ये डायनासोर 15 करोड़ साल पहले आज के अमेरिका में बड़े डायनासोरों के साथ घूमते थे। इस डायनासोर को वैज्ञानिकों ने 'एनिग्माकॉर मोलीबोर्थविके' नाम दिया है। ये शाकाहारी डायनासोर थे जो तेज दौड़ लगाते थे।

2027 के अंत में रिटायर हो सकते हैं जिनिफिंग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनिफिंग के 2027 में अपने तीसरे कार्यकाल के अंत में सेवानिवृत्त होने की अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में 30 जून को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की पॉलिटब्यूरो बैठक में पार्टी संस्थाओं के संचालन से जुड़े नए नियमों की समीक्षा की गई। इससे सत्ता के क्रमबद्ध हस्तांतरण की संभावना के संकेत मिले हैं। शी जिनिफिंग ने हाल के दिनों में पार्टी के कुछ अधिकारों का हस्तांतरण करना शुरू किया है और उन्होंने पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जहां चीन का प्रतिनिधित्व प्रीमियर ली क्वांग ने किया।

एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी 'वत्सला' का निधन

भारत के वन्यजीव प्रेमियों, वन अधिकारियों और आम नागरिकों के लिए यह एक भावुक क्षण था। एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथिनी वत्सला ने 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में अंतिम सांस ली। माना जाता है कि उसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी, जो एशियाई हाथियों के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और असाधारण आयु मानी जाती है। उसका निधन एक युग के अंत को चिह्नित करता है — एक ऐसा जीवन जो पीढ़ियों तक फैला रहा और जिसने इंसानों और वन्यजीवों के बीच संवेदनशील सामंजस्य का प्रतीक बनकर सभी के हृदयों में एक विशेष स्थान बना लिया।

श्रीलंका सरकार ने कोलंबो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के गठन को दी स्वीकृति

श्रीलंका सरकार ने कोलंबो बंदरगाह के पूर्वी कंटेनर टर्मिनल के प्रबंधन और संचालन के लिए कोलंबो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दे दी है। वर्ष 2021 में, मंत्रिमंडल ने कोलंबो दक्षिण बंदरगाह परियोजना के अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी कंटेनर टर्मिनलों के गठन को मंजूरी दी थी। नई कंपनी श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण के पूर्ण स्वामित्व और अधिकार क्षेत्र में कार्य करेगी।

भारत आय समानता में बना दुनिया का चौथा सबसे समानतापूर्ण देश

विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत आय समानता के मामले में दुनिया का चौथा सबसे समानतापूर्ण देश बन गया है। गिनी इंडेक्स के अनुसार, भारत का स्कोर 2011-12 में 28.8 से घटकर 2022-23 में 25.5 हो गया है, जो आय असमानता में उल्लेखनीय गिरावट को दर्शाता है। भारत से आगे सिर्फ स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और बेलारूस हैं, जबकि भारत ने अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। जो देश की समावेशी और सतत विकास नीतियों की सफलता को उजागर करती है।

साक्षी ने विश्व मुक्केबाजी कप में भारत को दिलाया पहला स्वर्ण पदक



दो बार की युवा विश्व चैंपियन साक्षी ने 6 जुलाई को विश्व मुक्केबाजी कप के 54 किग्रा वर्ग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अमेरिका की योसलाइन पेरेज को हराया। आक्रामक खेल और सटीक पंचों की बदौलत साक्षी ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक कुल 11 पदक पक्के किए हैं। टूर्नामेंट के पहले चरण में, जो ब्राजील में आयोजित हुआ था, भारत ने 6 पदक हासिल किए थे। वहीं, 48 किग्रा वर्ग में भी साक्षी को कड़ी चुनौती के बावजूद विभाजित निर्णय से हार का सामना करना पड़ा।

9 साल की उम्र में गुर्दा फेल, अब बने विश्व चैंपियन

कर्नाटक के बेंगलुरु निवासी वरुण आनंद की उम्र मात्र 9 वर्ष थी, जब उनके गुर्दे फेल हो गए। चार महीने डायलिसिस के पश्चात, वर्ष 2019 में उनकी मां की किडनी का प्रत्यारोपण किया गया। बीमारी जनित जटिलताओं के बावजूद, वरुण ने विश्व प्रत्यारोपण खेलों में भारत के लिए तीन स्वर्ण पदक अर्जित किए। हाल ही में उन्होंने अगस्त 2025 में होने वाले अगले संस्करण के लिए बैडमिंटन, टेबल टेनिस और टेनिस में पुनः क्वालिफाई किया है।

दीपिका पोलिग्रास मैजिक स्किल अवार्ड के लिए नामांकित

भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी दीपिका को एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2024-25 सत्र में दुनिया की नंबर-1 टीम नीदरलैंड के खिलाफ किए गए शानदार मैदानी गोल के लिए पोलिग्रास मैजिक स्किल अवार्ड हेतु नामांकित किया गया है। एफआईएच की ओर से इस पुरस्कार के लिए नामांकनों की घोषणा कर दी गई है। विजेता का चयन दुनियाभर के हॉकी प्रेमियों द्वारा किए गए ऑनलाइन मतदान के आधार पर किया जाएगा।

भारतीय महिला फुटबॉल टीम को 50,000 डॉलर इनाम

भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने पहली बार क्वालीफाइंग मुकाबलों के माध्यम से एफएसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए जगह बनाकर इतिहास रच दिया। इस शानदार उपलब्धि पर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने टीम को 50,000 डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है। ब्लू टाइग्रेस ने क्वालीफाईंग टूर्नामेंट में अपने सभी चार मुकाबले जीतकर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मुख्य टूर्नामेंट में स्थान सुनिश्चित किया। भारत ने पिछली बार 2003 में इसमें भाग लिया था। वर्ष 2022 में मेजबान होने के बावजूद कोविड मामलों के चलते टीम को टूर्नामेंट से हटना पड़ा था।

भारत ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को 336 रन से हराया

भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 336 रन के भारी अंतर से हराकर एजबेस्टन में अपनी पहली जीत दर्ज की। तेज गेंदबाज आकाश दीप ने दोनों पारियों में मिलाकर 10 विकेट ले कर इंग्लैंड की हराया। पहले टेस्ट में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल पर दबाव था, लेकिन उन्होंने युवा टीम को शानदार ढंग से संभाला और प्रेरित किया। टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए रनों के लिहाज

से अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की। भारत ने इससे पहले एजबेस्टन में सात टेस्ट मुकाबले गंवाए थे और एक टेस्ट ड्रा रहा था।

मुल्लर मोरक्को में संयुक्त 24वें स्थान पर

भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने इंटरनेशनल सीरीज मोरक्को के तीसरे दौर में दो अंडर 71 का स्कोर किया। इस प्रदर्शन के साथ वे 12 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त 24वें स्थान पर पहुंच गए। एशियाई टूर पर 11 खिताब जीत चुके भुल्लर ने तीसरे दौर में दो बोगी के मुकाबले चार बर्डी लगाई और संतुलित खेल का प्रदर्शन किया।

23 साल बाद... किसी भारतीय का इंग्लैंड की जमीन पर दोहरा शतक

इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले की पहली पारी में टीम इंडिया ने 500 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। कप्तान शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। 23 साल बाद किसी भारतीय ने ऐसा कारनामा किया है। 2002 में राहुल द्रविड़ ने ऐसा किया था। इससे पहले सुनील गावस्कर ने 1979 में 221 रन बनाए थे। गिल इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय हैं।

दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ़ फेम स्टार मिला

दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ़ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं। यह घोषणा 3 जुलाई 2025 को हॉलीवुड में की गई। यह उपलब्धि न केवल दीपिका के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि इससे भारतीय प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है।

फुटबॉल: मैक्सिको ने 10वीं बार जीता गोल्ड कप, अमेरिका को 2-1 से हराया

मैक्सिको की फुटबॉल टीम ने अमेरिका को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 10वीं बार कॉन्काकैफ गोल्ड कप अपने नाम किया। निर्णायक गोल एडसन एल्वारेज़ ने 77वें मिनट में किया, जिसे पहले ऑफसाइड माना गया था, लेकिन VAR समीक्षा के बाद उसे वैध घोषित किया गया। अमेरिका के लिए रिचर्ड्स ने चौथे मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन राउल जिमेनेज़ ने 27वें मिनट में बराबरी का गोल किया।

देश को खेल महाशक्ति बनाने हेतु राष्ट्रीय खेल नीति-2025 को कैबिनेट की मंजूरी

भारत को खेल महाशक्ति बनाने और विश्व के शीर्ष पाँच खेल राष्ट्रों में स्थान दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को अनुमोदन दिया गया। यह नीति राष्ट्रीय खेल नीति-2001 का स्थान लेगी। नई नीति देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला सशक्त दावेदार बनाने का दूरदर्शी खाका प्रस्तुत करती है।

कश्मीर में खेलो इंडिया 21 अगस्त से

कश्मीर में पहली बार खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव होगा। 21 से 23 अगस्त तक डल झील में कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वॉटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट जैसे खेल होंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

पुराना हाईकोर्ट बिल्डिंग, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

E-mail- cgslsa@gmail.com cgslsa.cg@nic.in Website-www.cgslsa.gov.in

F.N./ 1933/ II-16-01/2007

Bilaspur Date 08/07/2025

स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) में अन्य व्यक्ति (सदस्यों) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय बस्तर (जगदलपुर), बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं सरगुजा (अंबिकापुर.) में स्थापित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) में पूर्व में प्राप्त आवेदनों को लंबित रखते हुए अन्य इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

अर्हता:- आवेदक को निम्नानुसार लोक सेवा के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये।

- वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या
- डाक, तार या टेलीफोन सेवा,
- किसी भी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय या,
- सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली,
- अस्पताल या औषधालय सेवा, या
- बीमा सेवा,
- बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवा,
- किसी स्थापना द्वारा सामान्यजन को किसी भी प्रकार के ईंधन का प्रदाय,
- शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों,
- आवास और भू सम्पदा सेवाएं।

आयु सीमा:- अधिकतम आयु 65 वर्ष के भीतर होना चाहिए

अन्य शर्तें:-

- प्रारम्भ में नियुक्ति 01 वर्ष के लिये होगी, जिसे संतोषप्रद सेवा पाये जाने पर तीन वर्ष या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले हो बढ़ाया जा सकेगा।
- मानदेय व अन्य सुविधाएँ:- Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and other Persons Rules, 2003) के अनुरूप देय होगी।
- चयन प्रक्रिया प्राप्त आवेदन पत्रों के स्क्रीनिंग पश्चात आगे की चयन प्रक्रिया छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा गठित तीन सदस्यों की कमेटी द्वारा की जावेगी। कमेटी द्वारा उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों की सूची माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय / मुख्य संरक्षक महोदय, द्वारा अनुमोदन के पश्चात राज्य शासन को प्रेषित की जावेगी।
- आवेदक को स्वयं यह घोषणा पत्र देना होगा कि उसका किसी भी जनोपयोगी सेवाओं में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का हित नहीं है।
- आवेदन पत्र का प्रारूप छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के वेबसाइट <http://cgslsa.cg.gov.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है, अथवा छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जावे।
- नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
- सदस्य अन्य व्यक्ति के रूप में नियुक्ति किसी प्रकार का नियोजन नहीं है, और नियोजन का कोई अधिकार सृजित नहीं करता है, बल्कि स्वसेवा है। जिस कार्य निष्पादन के लिये निर्धारित मानदेय व यात्रा भत्ता देय है।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/07/2025 है, इस तिथि को कार्यालय समय पश्चात (सायं 5:00 बजे के पश्चात) प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एफएन/1062/ii-16-01/2007 दिनांक 16-04-2025 के द्वारा जारी विज्ञापन के परिपालन में प्राप्त आवेदनों को विचार हेतु लंबित रखा गया है।

सदस्य

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

बिलासपुर

रिक्त पदों की संख्या-

- रायपुर-02 पद,
- बिलासपुर-01 पद,
- बस्तर, (जगदलपुर)-02 पद.
- दुर्ग-01 पद.
- सरगुजा (अंबिकापुर) 01 पद,

आवेदन पत्र

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 वीं के तहत संस्थापित स्थाई लोक अदालत जनोपयोगी सेवा में नियुक्त सदस्य जिनका कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप पद रिक्त हुए हैं, पर सदस्यों या अन्य व्यक्तियों

(Members/other Person) की नियुक्ति हेतु।

जिले का नाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है.....(केवल एक जिला ही अंकित किया जावे)

- आवेदक का नाम-----
हिन्दी में-----
अंग्रेजी में-----
- आवेदक के पिता/पति का नाम-----
- जन्म तिथि (शब्दों व अंकों में)-----
- गृह जिला-----
- स्थायी निवास का पता----- (संपर्क नंबर)-----
- वर्तमान पता----- (टेलीफोन नंबर)-----
- मोबाइल नंबर-----
- ई-मेल एड्रेस-----
- कार्यालय का पता-----
- शैक्षणिक योग्यताएँ (सेकण्डरी, सीनियर सेकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित) :-

क्र	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत

- सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख-----
- वर्तमान पद नाम (सेवारत आवेदक के लिए)-----
- अंतिम पद धारित (सेवा निवृत्त आवेदक के लिए)-----
- सेवा निवृत्ति की दिनांक-----
(सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
- जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित / सेवा/व्यवसाय का कार्यानुभव:-

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

- अन्य कार्य/व्यवसाय का अनुभव

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

- वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण-----
- वर्तमान पता का प्रमाण पत्र संलग्न करें-----
- वर्तमान वार्षिक आय. (अंतिम आयकर विवरणिका संलग्न करें) -----
- क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं? हाँ/नहीं-----
- यदि आवेदन के विरुद्ध संपूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई भी विभागीय जाँच या प्रारम्भिक जाँच की गई हो या लंबित हो या दण्डित किया गया हो तो उसका विवरण दें।
(सेवारत / सेवानिवृत्त के लिए) -----
- यदि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोजन किया गया हो तो उसका विवरण दें।

सत्यापन

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं-----पुत्र/पत्नी-----घोषणा करता/करती हूँ, कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य हैं, तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ, कि मेरा जनोपयोगी सेवा में किसी भी प्रकार का वित्तीय या अन्य हित नहीं है।

दिनांक:-----

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:-----

नोट: आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र व सेवा निवृत्ति आदेश की स्वसत्यापित प्रतियों संलग्न करें। आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जावें।

आर.ओ.85/जी-252602062.6

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)

जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ०ग०)

Email- baster.dpo@gmail.com Phone No.-07782-222827

क्र./841/मबावि./स्थापना शाखा/2025-26

जगदलपुर, दिनांक 04/07/2025

संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/7246/मबावि/2024-26 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.10. 2024 एवं क्रमांक/10478/मबावि/मसमि/सखी-4/24-25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक/4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मागदर्शिका 2022 मापदण्ड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर जगदलपुर, जिला-बस्तर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु इच्छुक एवं पात्र महिला आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता के रूप में) निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों/प्रदाय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु दिनांक 04.07.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक समय 5:30 बजे तक पता-कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बस्तर पिन कोड 494001 में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/ कोरियर के माध्यम से ही आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाइट (<http://bastar.gov.in>)/ महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर, जिला-बस्तर कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	सेवा का नाम	सेवा प्रदाता की संख्या	निर्धारित एक मुश्त सेवा शुल्क	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (Qualification)	Rolrs&Responsibilities
1	पैरा लीगल 1 कर्मिक/ वकील	01 अनारिक्षत (महिला)	18420/- प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	In the absence of Legal Advisors provided by District Legal Services Authority, the legal counselling service could be outsourced to any Womenhaving à degree in Law/ with legal training or knowledge of laws with at least 3 years' experience of working within a Government or Non-Government women related project programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 years' experience of litigation in any court of law.	➤ She will inform and orient the woman about her legal rights and help/guide the woman to initiate legal proceedings against the abuse/violence suffered, if she is willing to do so. ➤ She will coordinate /liaise with the Public Prosecutor or the SLSA/ DLSA Lawyer, to support the woman even after her case has been filed in court as well as to ensure there is follow-up of the case to its logical conclusion. ➤ She will simplify legal procedures for the affected women and advocate for her exemption from court hearings. ➤ She will facilitate speedy and hassle free police and court proceedings through employment of conferencing facility the video forhe recording of statement of women affected by violence.
2	पैरा मेडिकल कर्मिक	01 अनारिक्षत (महिला)	18420/- प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	In the absence of a regular Para Medical Personnel provided by District Health Authorities, the medical assistance service could be outsourced to any woman having professional degree/diploma in paramedics with a background in health sector and preferably with at least 3 years' experience of working within B Government or Non-Government health project/programme at the district level.	➤ Para Medical Personnel will work in shifts to provide 24 hour service at OSC ➤ She will provide first aid and immediate life saving medical assistance to the aggrieved woman until she reaches the hospital. ➤ She will accompany the woman affected by violence to the Hospital. In cases of women affected by sexual violence, she will ensure strict compliance of the protocols developed by MoHFW to conduct forensic examination and other tests by the Doctors. ➤ She will help in drafting the medical case history of the women affected by violence
3	सुरक्षा गार्ड/ नाईट गार्ड	अनु.जन.जाति 01 पद (महिला) अनारिक्षत 01 पद (महिला) अनु.जन.जाति 01 पद (महिला)	11360/- प्रतिमाह (लेवल-1)	45 वर्ष	The services could be outsourced to any women who is Passed 8th from any recognized board having at least 2 years' experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/ state level. He/she should preferably be retired military para -military personnel.	➤ Security Guard/Night Guard will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. ➤ The Security Guard/ Night Guard would be responsible for the overall security of OSC. ➤ She would be responsible for safety of all capital assets, furniture and equipment at OSC.

उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्त:-

2. आयु सीमा:-

1. उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2024

- को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- आयु के सत्यापन /समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें अंकतिथि अंकित हो के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन्न के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है।
- पदों पर अभ्यार्थी को छत्तीसगढ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
- आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- चयनित अभ्यार्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में आयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी।
- सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति कार्य है, अतः चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यार्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों / प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाये। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।
- अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
- किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये

क्रमशः



- निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
18. उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
19. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे।
20. कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
21. योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
22. इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
23. इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
24. उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।
25. उक्त विज्ञापन/नियुक्त आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन के अध्याधीन रहेगा एवं उक्ताशय के संबंध में पारित आदेश नियुक्त उम्मीदवारों पर बंधनकारी रहेगा।
26. अनुभव का लाभ लेने के लिये नियुक्त आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।
27. उपरोक्त सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों की सेवा ली जावेगी।
3. नियुक्ति प्रक्रिया: सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावे।
- 3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
- 3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।
- 3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-
- 3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- 3.5 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।
- 3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
- 3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
- 3.8 वॉक इन इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/ बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।
- 3.9 अभ्यर्थियों के चयन मैरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- 3.10 छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232/1538/ सा/2024/50 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र में एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-

इन-इंटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश है।

- 3.11 अतः कंडिका 3.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी हैं अथवा प्रक्रियाधीन हैं यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।
- 3.12 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उप कंडिका 3.4, 3.5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियों में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
4. नियुक्ति की अवधि:-
- 4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपर्युक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 4.5 चयन के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- 4.6. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बस्तर के सूचना पटल व जिले की वेबसाइट www.bastar.gov.in पर देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला- बस्तर (छ.ग.)

कार्यालय जिला आयुष अधिकारी जांजगीर चांपा (छ.ग.)

जिला अस्पताल के आगे, जर्वे (च.) रोड़ जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

website- www.janjgir-champa.gov.in

क्र./भर्ती/2025/1129

जांजगीर दिनांक 27.06.2025

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ. प्र/ 1-3 दिनांक 03.05.2023 एवं संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) रायपुर के पत्र क्रमांक 23-2/1/स्था./अराज./2023/1675,1677 नवा रायपुर दिनांक 12.05.2023 एवं इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/स्था/2023/606 जांजगीर, दिनांक 23.05.2023 के अनुसार कार्यालय जिला आयुष अधिकारी जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) के रिक्त चतुर्थ श्रेणी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (दाई), औषधालय सेवक, नृत्य, चौकीदार, मसाजर, (महिला/पुरुष), वार्ड ब्वाय, रसोईयां, किचन सर्वेन्ट एवं स्वीपर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।

आप सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी संवर्ग औषधालय सेवक, नृत्य, चौकीदार मसाजर (महिला/पुरुष), वार्ड ब्वाय, रसोईयां, किचन सर्वेन्ट एवं स्वीपर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन समिति की अनुशंसा पर प्राविण्यता सूची जारी कर दिया गया है। जिले के बेबसाइड website-www.janjgir-champa.nic.in एवं कार्यालय जिला आयुष अधिकारी जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

जिला आयुष अधिकारी
जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

आर.ओ.81/जी-252602005/4

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/1282/मबावि/सखी/25-26

बिलासपुर दिनांक 03/07/2025

संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 10478/मबावि/मसमि/सखी-4/2024-25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक/4077 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन वित्तीय मापदंड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मार्गदर्शिका 2022 मापदंड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर बिलासपुर में दैनिक कार्यों का संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाही के लिए सेवाप्रदाता नियुक्त किया जाना है, इस हेतु पात्र महिला आवेदकों (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता) से निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों/पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 04.07.2025 से दिनांक 18.07.2025 तक शाम 05.00 बजे तक (अवकाश दिनों को छोड़कर) पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से निर्धारित तिथि में आवेदन पत्र कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बिलासपुर (छ.ग.) में आमंत्रित किए जाते हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	सेवा प्रदाताओं का पद नाम	सेवा प्रदाताओं की संख्या	मासिक सेवा शुल्क	वेतन मैट्रिक्स में लेवल (केवल यात्रा व्यय, भत्ता भुगतान गणना के लिए)
1	साईको सोशल काउंसलर	अनारक्षित-01 पद	25780	(लेवल-8)
2	केसवर्कर	अनारक्षित-01	18420	(लेवल-6)
3	पैरा लीगल कार्मिक / वकील	अनारक्षित-01	18420	(लेवल-6)
4	पैरा मेडिकल कार्मिक	अनारक्षित-01	18420	(लेवल-6)
5	कार्यालय सहायक	अनारक्षित-01	18420	(लेवल-6)
6	सुरक्षा गार्ड / नाईट गार्ड	अनारक्षित-02 अनु. जाति-01	11360	(लेवल-1)

1.
- सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाता हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्यदायित्व-

S. No.	Position	Number of Staff	Qualification
1	Psycho-social Counsellor	01	The service could be outsourced to any woman having professional degree diploma in psychology / psychiatry /neurosciences with a background in health sector and preferably with at least 3 years" experience of working within a Government or Non -Government health project/ programme at the district level.
2	Case Worker	01	- Any woman having a Bachelor in Law/ Social Work/Sociology/Social science/ Psychology with at least 3 years" experience of working on women related relevant domains in project/programme. a Government or Non-Government - She should be a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilised for effective functioning of the centre.
3	Para Legal Personnel/Lawyer	01	In the absence of Legal Advisors provided by District Legal Services Authority, the legal counselling service could be outsourced to any person having a degree in Law/ with legal training or knowledge of laws with at least 3 years" experience of working within a Government or Non-Government women related project/ programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 years" experience of litigation in any court of law.
4	Para Medical Personnel	01	In the absence of a regular Para Medical Personnel provided by District Health Authorities, the medi cal assistance service could be outsourced to any woman having professional degree /diploma in paramedics with a background in health sector and preferably with at least 3 years" experience of working within a Government or Non-Government health project/ programme at the district level.
5	Office Assistant with computer knowledge	01	The services could be outsourced to any person who is a graduate with at least diploma in computers/ IT etc with a minimum of 3 years" experience in data management, process documentation and web -based reporting formats, video conferencing at state or district level with government or Non-Governmental/ IT-based organizations.
6	Security Guard/ Night Guard	03	The services could be outsourced to any person who is Passed 8th from any recognized board having at least 2 years" experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/ state level. He/ she should preferably be retired military / para-military personnel.

2.
- अन्य योग्यता:-
- 2.1
- उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2.2
- आयु के सत्यापन /समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 5वी, 8वीं, 10वीं, 12वी की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 2.3
- पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
- 2.4
- आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.5
- चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी।
- 2.6
- सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय गैर सिद्ध दोष शपथ पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष स्वयं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7
- सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीड़ितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
- 2.8
- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी एक पत्नी के रहते द्वितीय विवाह नहीं संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त कंडिका 2.6, 2.7, एवं 2.8 से संबंधित जानकारी नियुक्ति के समय एक ही शपथ पत्र में प्रस्तुत करें।
- 2.9
- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 2.10
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।
- 2.11
- अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- 2.12
- आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 2.13
- किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 2.14
- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र में संस्था को यदि किसी विभाग से अनुदान प्राप्त हुआ है तो उस विभाग के सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर युक्त अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा
- 2.15
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- 2.16
- प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना

क्रमशः

- चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 2.17 आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 2.18 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। शैक्षणिक योग्यता में 08वी, 10वी एवं 12वी की अंकसूची छ.ग. शिक्षा मण्डल द्वारा जारी अंकसूची ही मान्य होगी। यदि शैक्षणिक योग्यता अंकसूची में ग्रेडिंग के आधार पर मूल्यांकन किया गया है, तो उस शैक्षणिक संस्थान से अंक / प्रतिशत प्राप्त कर प्रस्तुत करने वाले अंकसूची ही मान्य होगी अन्यथा ग्रेडिंग का न्यूनतम अंक के आधार पर गणना की जावेगी।
- 2.19 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे।
- 2.20 कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 2.21 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
- 2.22 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
- 2.23 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
- 2.24 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।
3. नियुक्ति प्रक्रिया: सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावे।
- 3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी 13 पदों के लिए नियुक्तकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
- 3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।
- 3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-
- 3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- 3.5 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।
- 3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
- 3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
- 3.8 वॉक इन इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।
- 3.9 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- 3.10 छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232/1538/सा/2024/50 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र में एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन के

- पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश है।
- 3.11 अतः कंडिका 3.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी हैं अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।
- 3.12 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उप कंडिका 3.4, 3.5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियो में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
4. नियुक्ति की अवधि :-
- 4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 4.4 चयन के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। (चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला- बिलासपुर (छ०ग०)

स्वयं द्वारा पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर किया जावे जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पर होना चाहिए चस्पा करे

- | | | |
|-----|--|--------------------------------|
| 1. | आवेदित पद का नाम | :----- |
| 2. | आवेदक का नाम (हिन्दी में) | :----- |
| | (अंग्रेजी में) | :----- |
| 3. | पिता/पति का नाम | :----- |
| 4. | स्थायी पता | :----- |
| | | :----- |
| 5. | (पत्र व्यवहार का पता) | :----- |
| | | :-----दूरभाष/मोबाईल.----- |
| | | :-- ई-मेल आईडी----- |
| 6. | जन्मतिथि (अंको में) | :----- |
| | (शब्दों में) | :----- |
| 7. | दिनांक 01/01/2025 को आयु | :----वर्ष-----माह-----दिन----- |
| 8. | क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है: | :----- |
| | हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें: | :----- |
| 9. | लिंग पुरुष/महिला | :----- |
| 10. | जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व/सामान्य): | :----- |

क्रमशः

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
अरण्य भवन, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर
(प्रशासन/अराजपत्रित)
फोन: 0771-2512817 फैक्स: 0771-2512817 ईमेल: apeefng@gmail.com

छत्तीसगढ़ राज्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत रायगढ़ एवं धमतरी नोडल वनमण्डल में वनरक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 07.07.2025 से आयोजित दक्षता परीक्षण की कार्यवाही को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। दक्षता परीक्षण आयोजन हेतु तिथि पृथक से निर्धारित किया जायेगा। शेष नोडल वनमण्डल में भर्ती की कार्यवाही निर्धारित तिथि के अनुसार जारी रहेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशा./अराज.)
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
आर.ओ.83/जी-252602014.6

(पिछले पृष्ठ का शेष)

- (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय में सेवारत है? :-----
हां तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :-----
13. यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या:-
14. शैक्षणिक योग्यता (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

15. अन्य योग्यता का विवरण
16. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

17. आवेदक द्वारा अनिवार्य संलग्नों की सूची:-
1. जन्म तिथि हेतु 5वीं/8वीं/10 वी की अंकसूची/जन्मप्रमाण पत्र
2. 12 वी की अंकसूची/प्रमाण पत्र
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण पत्र
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर संलग्न करें)
5. जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. रोजगार पंजीयन की प्रति।
7. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।
8. पहचान पत्र/आधार कार्ड/ वोटर आईडी इत्यादि।
9. एफ लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रू. का डाक टिकट सहित।
18. अन्य संलग्नों का विवरण
- 1-----2-----
- 3-----4-----
- 5-----6-----

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुरूप सत्य हैं और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरी विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:-----

दिनांक-----

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07747-299067. Email ID-dwcd.mohla@gmail.com
क्रमांक/596/मबावि/न.बि./2025-26 मोहला, दिनांक 02/07/2025

//सूचना//

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु नवा बिहान योजनान्तर्गत रिक्त संविदा पदों पर जारी विज्ञापन के विरुद्ध स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु दावा-आपत्ति उपरान्त अंतिम मेरिड सूची प्रकाशित करने बाबत।

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/13046/ मबावि/सा.वि./2024-25 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.01.2025 द्वारा स्वीकृत संविदा पद महिला संरक्षण अधिकारी, हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1578/मबावि/न.बि./2024-25 मोहला, दिनांक 19/03/2025 से 15/04/2025 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन मंगाये गए थे प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्र/अपात्र सूची तैयार की गई है। पात्र/अपात्र सूची की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट www.mohla-manpur-ambagarhchowki.cg.gov.in व कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी के सूचना पटल पर प्रकाशित करते हुए सभी पदों पर दावा/आपत्ति दिनांक 16/06/2025 सायं 05:00 बजे कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला मोहला मानपुर-अं.चौकी में आमंत्रित किया गया था। जिसका प्रकाशन जिला के वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

उपरोक्तानुसार अभ्यर्थियों द्वारा स्वीकृत पद पर दावा-आपत्ति प्रस्तुत किया गया उक्त दावा आपत्ति को चयन समिति द्वारा नियमानुसार निराकृत किये जाने के उपरान्त अंतिम मेरिड सूची का प्रकाशन जिले की वेबसाइट www.mohla-manpur-ambagarhchowki.cg.gov.in में किया जाता है।

संलग्न:-सूची उपरोक्तानुसार।

जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग

आर.ओ.82/जी-252602004.4

जिला-मोहला मानपुर अं.चौकी (छ०ग०)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(फोन 0771-2636413 फैक्स 0771-2263412)

(Email-highereducation.cg@gmail.com Website-www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक/ 251/आउशि/अराज. स्था/2025, अटल नगर, दिनांक 07.2025
-:: दस्तावेज सत्यापन की सूचना ::-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा-2023 में सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रावीण्य सूची कम में अतिरिक्त अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं संगत दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य निम्नांकित तिथियों एवं स्थान पर किया जावेगा।

क्र.	स्थान	सत्यापन तिथि	समय
1.	क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षा, रायपुर /रूसा कार्यालय, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)	21 जुलाई 2025	प्रातः 10:00 बजे (रिपोर्टिंग समय)

सत्यापन के संबंध में जानकारी एवं निर्देश विभागीय वेबसाइट www.highereducation.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. एच.पी. खैरवार)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर

आर.ओ.84/जी-252602063.3



DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष भवन, ब्लॉक-3, तृतीय/चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

Phone: 0771-2221376, www.cgdteraipur.cgstate.gov.in, Email-cgdtecounselling@gmail.com

:: सत्र 2025-26 में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन कॉउंसिलिंग की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन कॉउंसिलिंग द्वारा होगा। इस हेतु अभ्यर्थी का वेब साइट www.cgdteraipur.cgstate.gov.in एवं https://cgdte.admissions.nic.in पर उपलब्ध कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि./42 अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023 में प्रकाशित निम्न प्रवेश नियम के अनुसार अर्हता होना अनिवार्य है।

- छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023
- छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023
- छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम 2023
- छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम-2023 एवं संशोधन

ऑनलाइन कॉउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया का अवलोकन भी उपरोक्त वेब साइट के माध्यम से किया जा सकता है, तत्संबंधी तिथियाँ निम्नानुसार है।

पाठ्यक्रम	प्रथम चरण हेतु तिथियाँ					द्वितीय चरण हेतु तिथियाँ					संस्था स्तर का चरण हेतु तिथियाँ		
	पंजीयन Registration	मेरिट जारी	दावा आपति	आबंटन/रिजल्ट Allotment Result	प्रवेश Admission	पंजीयन Registration	मेरिट जारी	दावा आपति	आबंटन/रिजल्ट Allotment Result	प्रवेश Admission	पंजीयन Registration	मेरिट जारी	प्रवेश Admission
बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी लेटरल	14.07.2025, 10:00 बजे से	20.07.2025, 17:00 बजे	21.07.2025 17:00 बजे तक	22.07.2025 16:00 बजे	23.07.2025 10:00 बजे से	28.07.2025, 10:00 बजे	01.08.2025 17:00 को	02.08.2025 17:00 बजे	03.08.2025 16:00 बजे	04.08.2025 10:00 बजे 06.08.2025 17:30 बजे	08.08.2025 10:00 बजे	11.08.2025 17:00 बजे	1. मेरिट सूची के अनुसार संस्था स्तर पर आबंटन हेतु अवसर लेने के लिए विद्यार्थियों को संबंधित संस्था में उपस्थित होना-12 अगस्त 2025 10:00 बजे 2. संस्था द्वारा आबंटित सीटों पर प्रवेश लेने का कार्य। 12 अगस्त 2025 13:00 बजे से 14 अगस्त 2025 17:30 बजे
मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी	18.07.2025. 23:59 बजे				26-07-2025 17:30 बजे तक	30.07.2025 22:50 बजे तक					10.08.2025 23:59 बजे तक		
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन													
मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन													

सामान्य निर्देश :-

- प्रथम चरण की कॉउंसिलिंग के उपरांत पर्याप्त सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही द्वितीय एवं तृतीय चरणों की कॉउंसिलिंग करायी जायेगी।
- काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्राविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
- एक पाठ्यक्रम हेतु एक अभ्यर्थी से संबंधित मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि किसी भी कारणवश कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन नहीं भर पा रहा है। तो वह अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों में अपने समस्त मूल दस्तावेज एवं फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाकर अपनी समस्या का निदान कर सकता है।
- कॉउंसिलिंग के प्रत्येक चरण हेतु अभ्यर्थी को पृथक से आवेदन करना होगा, यदि इससे पूर्व चरण में प्रवेश लिया है तो वह संबंधित संस्था अथवा अभ्यर्थी सुविधा केन्द्र से प्रवेश निरस्त कराना होगा।
- रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिन भी अभ्यर्थी सुविधा केन्द्र एवं प्रवेश हेतु संस्थाएं खुली रहेंगी।
- ऑनलाइन कॉउंसिलिंग से संबंधित जानकारी हेतु नियंत्रण कक्ष, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, कक्ष क्रमांक-03, ब्लॉक-3, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में उपस्थित होकर अथवा दूरभाष क्रमांक 0771-2221376 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं या cgdtecounselling@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

आर.ओ.86/जी-252602062.6

अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास)

जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 07751 220658 Email-actwd.gpm@gmail.com

क्र./941/EOI/कोचिंग / 2025-26

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 05/07/2025

जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए
निशुल्क कोचिंग क्लासेस हेतु प्रवेश का आमंत्रण (वर्ष 2025-26)

जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं के लिए सी.जी.पी. एस.सी. एवं सी.जी. व्यापम के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाममूलक सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कोचिंग में प्रवेश हेतु ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग जिला गौरेला, पेण्ड्रा मरवाही छ.ग. को रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

1. आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 07.07.2025

2. आवेदन करने की अंतिम तिथि 21.07.2025

आवेदन की सामान्य शर्तें व अन्य जानकारी जिले के वेबसाइट [http://www. Gaurela.pendra-marwahi.cg.gov.in](http://www.Gaurela.pendra-marwahi.cg.gov.in) में देखी जा सकती है।

सहायक आयुक्त

आर.ओ.87/जी-252602042.4

आदिवासी विकास जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

कार्यालय, जिला पंचायत- जशपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / 855 / जि.पंचा./प्र.म.आ.यो./2025

जशपुर, दिनांक 08/07/2025

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत सहायक अभियंता (संविदा), तकनीकी सहायक (संविदा), विकासखण्ड समन्वयक (संविदा) जनपद पंचायत एवं सहायक ग्रेड 03 (संविदा), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) जिला पंचायत पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।

उक्त पदों हेतु दावा आपत्ति उपरांत पात्र आवेदकों को मेरिट सूची के आधार पर 1:10 की मेरिट क्रम पर अभ्यर्थियों की कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा, प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु कार्यालय कलेक्टर, प्रथम तल, डाटा सेन्टर, जिला जशपुर (छ.ग.) में प्रातः 10:00 बजे एवं सहायक अभियंता, विकासखण्ड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक का साक्षात्कार हेतु (कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रमाण पत्र सत्यापन उपरांत) जिला पंचायत-जशपुर (छ.ग.) में दिनांक 21/07/2025 को आयोजित किया गया है।

उक्त प्रायोगिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एवं सूची जिला पंचायत के सूचना पटल पर प्रकाशित किया गया है, एवं जशपुर जिले के वेबसाइट www.jashpur.nic.in पर अपलोड किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला-जशपुर (छत्तीसगढ़)

HIGH COURT OF CHHATTISGARH : BILASPUR

Adv. No.01/S & A Cell/2025 Dated: 07/07/2025

APPLICATION FOR THE POST OF DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL) THROUGH LIMITED COMPETITIVE EXAMINATION-2025 UNDER RULE 5(1)(b) OF CHHATTISGARH HIGHER JUDICIAL. SERVICE (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) RULES, 2006

As per the directions of Hon'ble the Supreme Court given in C.A. 1867/06 in the matter of Malik Mazhar Sultan and Another V/s U.P. Public Service Commission & Ors., 10% of the vacancies in the cadre of District Judge (Entry Level) has to be filled up by promotion through Limited Competitive Examination from Civil Judge (Senior Division) having not less than five years of qualify ing service as Civil Judge (Senior Division).

Applications are invited in the prescribed format an nexed herewith from the eligible Civil Judges (Senior Division) having not less than 5 years of qualifying service as Civil Judges (Senior Division) for filling up of 03 (three) vacancies in the cadre of District Judge (Entry Level) through limited competitive examination.

The Civil Judges (Senior Division) having not less than 5 years of qualifying service as Civil Judges (Senior Division) shall only be eligible to appear in the said examination.

Candidates appearing for promotion through limited competitive examination under Rule 5(1)(b) shall be required to secure minimum 50% marks in the written examination and mini mum 33% marks in the viva-voce.

The application shall be sent through the concerning Principal District Judges and an advance copy must be sent directly to the Registrar General, High Court of C.G., Bilaspur so as to reach this Registry on or before 26/07/2025 till 5:00 P.M. The appli cations received after 5:00 P.M. of 26/07/2025 shall not be entertained.

Annexed-

- 1. Format of application & Identity sheet
- 2. Scheme of Examination

Registrar General

(The application form must be computer printed or downloaded in A4 size paper)

APPLICATION FOR THE POST OF DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL) THROUGH LIMITED COMPETITIVE EXAMINATION-2025 UNDER RULE 5(1)(b) OF CHHATTISGARH HIGHER JUDICIAL SERVICE (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) RULES, 2006

Roll No. (For office use only)

Affix here your Recent passport size 3.5 x 4.5 cm. self attested photograph (not to be stapled)

- 1. Full name in BLOCK LETTERS
- 2. Father's/Husband's Name
- 3. Date of Birth
- 4. Date of appointment as Civil Judge (Senior Division)
- 5. Period of service as Civil Judge (Senior Division) as on 01.01.2025
- 6. Present place of posting
- 7. E-mail address
- 8. Contact No.

Place: Date:

Signature of the Applicant

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR IDENTITY-SHEET

District Judge (Entry Level) Through Limited Competitive Examination 2025 Examination Centre Roll No (for office use only) (for office use only)

Date & Time of Examination

Date:Time: Paper-I Law& Paper-II Law (To be filled by candidate)

Candidate's Name Father's/Husband's Name Date of Birth Gender Present place of posting Candidate's Signature

Affix here your Recent passport size 3.5 x 4.5 cm. self attested photograph (not to be stapled)

Candidate's Signature in Examination Hall

(Paper I LAW) (Paper II LAW) Answer sheet No- Answer sheet No- Signature of Centre Head / In-charge (With Seal)

Verified the signature and photo of the candidate.

(Signature of the invigilator) (Signature of the invigilator) (Paper I LAW) (Paper II LAW)

Note:Before sending the application form along with Identity Sheet the candidate must ensure that the information filled in the Identity Sheet is correct. Also put his/her Signature in the appropriate space.

Scheme of Examination - 2025

Departmental Limited Competitive Examination of 2 papers of 3 hours each.

Competitive Examination:-

I. Paper-I Law (Maximum marks-100)

- (A) The Code of Civil Procedure, 1908 The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (No.47 of 2023) The Limitation Act, 1963 The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No.12 of 2012) (Maximum marks-25)
- (B) The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No.46 of 2023) The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No.45 of 2023) The Prevention of Corruption Act, 1988 Chhattisgarh Excise Act, 1915 The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 (Maximum marks-25)
- (C) The Transfer of Property Act, 1882 The Indian Contract Act, 1872 The Specific Relief Act, 1963 The Indian Forest Act, 1927 The Wild Life (Protection) Act, 1972 The Environment (Protection) Act, 1986 (Maximum marks-25)
- (D) Principles of Pleading Conveyance The Constitution of India (Maximum marks -25)

Paper-II Law (Maximum marks 100)

- (a) Framing of Issues and writing of Judgment in Civil Cases. (Maximum marks 40)
- (b)Framing of charges and writing of Judgment in Criminal Cases. (Maximum marks 40)
- (c) Translation (Maximum marks 20)
- (1) English to Hindi 10 marks
- (ii) Hindi to English 10 marks

III-Performance appraisal

IV-Viva Voce 30 marks 20 marks

कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)

Email:pmayg.balrampur@gmail.com, zp-balrampur.cg@gov.in

क्र०/963/PMAY-G/नियुक्ति/जि.पं. / 2025-26

बलरामपुर, दिनांक 08/7/2025

संचालनालय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पत्र क्र०/1251/PMAY-G/स्था. /31/2024 : नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20.09.2024 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत विकासखण्ड स्तर के कुल 03 रिक्त पदों की पूर्ति संविदा आधार पर किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज के नाम से आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 18/07/2025 अपराह्न 05:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। योजनांतर्गत विकासखण्ड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक (जनपद स्तर) के पदों पर चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के वेबसाइट www.balrampur.gov.in पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है साथ ही संबंधित जानकारी जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज के सूचना पटल पर भी देखा जा सकता है। निर्धारित तिथि व समय उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जनपद स्तर पर रिक्त पदों की जानकारी

क्र०	पदनाम	अनारक्षित		अपिव		अजा		अजजा		कुल	
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
1	विकासखण्ड समन्वयक	-	-	-	-	-	-	01	01	01	01
2	तकनीकी सहायक	-	-	-	-	-	-	01	-	01	-
3	महायोग	-	-	-	-	-	-	02	01	02	01

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर के नाम से दिनांक 18/07/25 को सायं 5:30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
- आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जावेगी।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त योग्य होगा।
- आवेदक को छ०ग० राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- संविदा नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
- यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र० एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
- संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको

- कौशल परीक्षा के लिए 01 पद कि विरूद्ध वरीयता क्रम के 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तदोपरान्त कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
- मेरिट सूची में समान अंक होने की स्थिति में विज्ञापन में उल्लेखित कार्य अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दिया जावेगा।
 - विज्ञापन में वर्णित अनुभव के अलावा अन्य कोई भी अनुभव मान्य नहीं किया जावेगा।
 - आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर एवं ईमेल की जानकारी एवं नियुक्ति आदेश की छायाप्रति अनिवार्य रूप से दिया जावे, अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा। जिसके लिए आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा।
 - शासकीय अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को समस्त कार्य अवधि का प्रमाणित पे-स्लीप/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - गैर शासकीय अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को समस्त कार्य अवधि का प्रमाणित पे-स्लीप तथा बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य / अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
 - समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
 - सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में नियुक्ति पश्चात् 01 वर्ष के भीतर पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
 - शासकीय / गैर शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
 - ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिये पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
 - अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
 - पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
 - विज्ञापन में पदवार जिले का रोस्टर लागू होगा। जिला नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से करने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
 - यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी।
 - आवेदक द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेज नियुक्ति उपरांत गलत पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
 - दावा आपत्ति के समय आवेदन के दौरान आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
 - उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 - नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
 - आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के वेबसाइट www.balrampur.gov.in पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है साथ ही संबंधित जानकारी जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज के सूचना पटल पर भी देखा जा सकता है।

क्रमशः



अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

1. विकासखण्ड स्तर के पद

क्र	पदनाम	संविदा वेतन	अर्हता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	अंक	
1	विकासखण्ड समन्यवयक	39875/- (लेवल 10)	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी.ई./बी.टेक. में न्युनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण।	हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20	
			अथवा	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत् पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	30	
			मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 60% अंक के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि।	शासकीय / गैर शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का अंकों का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक) अधिकतम 20 अंक	20	
			2. कम से कम 02 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव।	कम्प्युटर प्रायोगिक परीक्षा पर Weightage देते हुए	20	
				साक्षात्कार पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	10	
			प्राथमिकता			
			1. शैक्षणिक संस्थाओं में अनुभव को प्राथमिकता 2. निर्माण कार्य से संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता।			
2	तकनीकी सहायक	35165/- (लेवल 9)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी.ई./बी.टेक./ डिप्लोमा (सिविल इंजीनियरिंग) में न्युनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण।	हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत् पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20	
			अथवा	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	30	
			2. उपरोक्त श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में बी.ई./बी.टेक. / डिप्लोमा (किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग) न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण।	शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का अंकों का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक) अधिकतम 20 अंक	20	
			अथवा	कम्प्युटर प्रायोगिक परीक्षा पर Weightage देते हुए	20	
			3. उपरोक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एम. एस.सी. (गणित/भौतिकी) न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण।	साक्षात्कार पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	10	
			प्राथमिकता शासकीय व गैर शासकीय संस्थाओं में निर्माण कार्य में कार्य अनुभव को प्राथमिकता।			

(अनिवार्य शर्त अनुभव हेतु पदों में दिए गए आवश्यक वर्षों का सैलेरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट आवश्यक है।)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज

कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)

आवेदित पद का नाम-----

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)

पिनकोड-497119

1.

आवेदक / आवेदिका का नाम (अ) (हिन्दी में)

:

- (ब) अंग्रेजी (कैपिटल लेटर में)

:

2.

लिंग (पुरुष/महिला)

:

3.

जन्म तिथि (अ) अंकों में

:

- (ब) शब्दों में

:

- (स) दिनांक 01.09.2024 को आयु

वर्ष-----माह-----दिन-----
4.

वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पि.व./सामान्य)

:

5.

पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में)

:

- :

- :

- :

7.

मोबाईल नंबर

:

8.

ई मेल आईडी

:

9.

आधार नंबर

:

10. शैक्षणिक योग्यता:- :-----

क्र०	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / विवि का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी
1							
2							
3							
4							
5							
6							

11. अनुभव :-

क्र०	संस्था का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अनुभव समयावधि			
				दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
1							
2							
3							

12. वैवाहिक स्थिति

क. विवाहित/अविवाहित :-----

ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भी दी जावे :-----

विवाह का दिनांक :-----

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

1-----2-----3-----4-----

5-----6-----7-----8-----

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषण-पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारीयां पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा

आई.टी. आई रामपुर, कलेक्टोरेट परिसर बिल्डिंग- प्रथम तल

जिला - कोरबा छत्तीसगढ़ पिन कोड-495677

Land Line No. 07759-226543 Email- actwdkorba@gmail.com

क्रमांक/विविध/डीएमएफ/2025-26/1063

कोरबा, दिनांक 07/07/2025

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग

जिला-रायपुर (छ.ग.) में कराने हेतु जिला-कोरबा (छ.ग.) के पात्र अभ्यर्थियों से

आवेदन पत्र आमंत्रण वर्ष 2025-26

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जिला-रायपुर में कराने हेतु निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से जिला-कोरबा (छ.ग.) के पात्र अभ्यर्थियों को निः शुल्क आवासीय प्रशिक्षण, भोजन एवं शिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है।

1- आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि- 06-08-2025, समय- सायं 03:30 बजे तक

2- आवेदन जमा करने का स्थान- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा

आई.टी.आई. रामपुर, कलेक्टोरेट परिसर बिल्डिंग-प्रथम

तल कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन कोड 495677

आवेदन पत्र एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) एवं जिला कोरबा के वेबसाइट www.korba.gov.in से डाउनलोड कर अवलोकन किया जा सकता है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी यथा पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम आदि सूचना जिले के वेबसाइट से अभ्यर्थी प्राप्त करेंगे।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास कोरबा

जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद (छ०ग०)

जिला न्यायालय परिसर, बालोद (छ०ग०)

फोन नं. 07749-299056 ई-मेल: disa.balod@gmail.com

क्रमांक- 465/जि०वि०से० प्रा०/2025

बालोद, दिनांक 02.07.2025

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि-21/07/2025 की संध्या 5.00 बजे तक (केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद जिला बालोद छ०ग० के अंतर्गत संचालित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम बालोद के स्थापना हेतु नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, संशोधित स्कीम 2022 में जारी दिशा निर्देश एवं छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर का पत्र क्रमांक 7490/ एल.ए.डी.सी.एस. -23/2024 दिनांक 11.11.2024 में दिये निर्देशानुसार डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पद हेतु निर्धारित मानदेय पर संविदा नियुक्ति किये जाने हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

संविदा नियुक्ति हेतु रिक्त पद का विवरण		
स.क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पद की संख्या
01	02	03
01	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल	01 (अनारक्षित मुक्त वर्ग)

महत्वपूर्ण टीप:-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- विज्ञापन में कोई भी शुद्धिपत्र जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का अधिकार होगा, जो कि अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।
- डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल (संविदा) के पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये होगी। नियुक्त किये गये स्टॉफ की उपस्थिति, कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- परीक्षा/साक्षात्कार तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद (छ०ग०) के पास सुरक्षित होगा।
- संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित परिपत्र / नियम / शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

-: भर्ती की पात्रता एवं शर्तें:-

डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल (संविदा) पद के लिये

अ- मानदेय :- एकमुश्त 40,000/-रु० मासिक

ब- Qualifications:-

- Practice in Criminal law for at least 7 Years,
- Excellent understanding of criminal law,
- Excellent oral and written communication skills,
- Skill in legal research,
- Thorough understanding of ethical duties of defense counsel,
- Ability to work effectively and efficiently with others, Must have handled at least 20 criminal trials in sessions courts, may be relaxed in exceptional circumstances by Hon'ble executive Chairman, SLSA,
- A IT knowledge with proficiency in work.

Work Profiles:

- Conducting trials/ appeals/ Remand work /Bail Applications/visits to prisons etc., as assigned by Chief Legal Aid Defense Counsel,
- Filing and arguing appeals and bail applications in Courts,
- Maintaining complete case files,
- Doing legal research in legal aided cases and guiding assistant legal Aid Defense Counsel and law students attached with the of- fice in legal research,
- Proper client interviews at various stages for quality research work and representation at remand, trial and appellate stage,
- All or any of the work of the Chief defense Counsel as per assignment,
- Any work/duty assigned by Legal Services Authority.
- Termination of Services.

Services of any legal aid defense counsel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel can be terminated at any time without any prior notice in the following cases by the Chairman, DLSA on recommendation of the Secretary DLSA or on the directions by SLSA in writing.

- He/she substantially breaches any duty or service required in the office, or
- Seeks or accepts any pecuniary gains or gratification in cash or kind from the legal aid seekers or beneficiary or his friend or relative, or
- Charged or Convicted for any offence by any court of law, or
- Indulges in any type of political activities, or
- Found incapable of rendering professional services of the re quired standards,
- Failure to attend training programmes without any sufficient cause, or
- Indulges in activities prejudicial to the working of legal aid de fense counsel office, or
- Using his/her position in legal aid defence counsel office to se cure unwarranted privileges or advantages for him/herself or others, or
- Acts in breach of code of ethics, or
- Remains absent without leave for more than two weeks, or
- If services are found unsatisfactory during the six monthly per formance review by the SLSA or DLSA

Code of Ethics:

Personnel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel shall observe the following code of ethics:

- No personnel shall act in any matter in whcih he/she has a direct or indirect personal or financial interest,
- No Personnel shall wilfully disclose or use, whether or not for the purpose of pecuniary gain, any information that he/she obtained, received or acquired during the fulfilment of his/her official du ties and which is not available to members of the general public,
- No personnel within the office of Legal Aid Defense Counsel shall make use of his/her office or employment for the purpose of pro moting or advertising any outside activity,
- No personnel within the office of Legal Aid Defense Counsel shall engage in any outside activity or act as an independent practitioner,
- No personnel within the office of legal Aid Defense counsel shall solicit, agree to accept or accept, whether directly or indirectly, any gift, favour, service, or other thing of value under circum stances from which it might be reasonably inferred that such gift, service, or other thing of value was given or offered for the purpose of influencing him/her in, or rewarding him/her for, the discharge of his/her official duties,
- Legal Aid Defense Counsel shall devote his/her full time to his/her duties for the office of Legal Aid Defense Counsel and shall not engage in private practice or law during the term of employment,
- Every Personnel of the Office of Legal Aid Defense Counsel shall strive to preserve the public's confidence in the office's fair and impartial execution of its duties and responsibilities,
- Legal Aid Defense Counsel shall also follow the code of ethics prescribed by Bar Council of India for lawyers.

क्रमशः



Entitlement to Leave:-

- Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel shall be eligible for 15 days' leave in a calendar year on pro-rata basis,
- No remuneration for the period of absence in excess of the admissible leave will be paid to the human resource of Legal Aid Defense Counsel office, Un-availed leave shall neither be carried forward to next year nor encashed.

-: नियुक्ति हेतु शर्तें:-

- चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त की जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
- आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
- जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/ निगम / मण्डल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने करने का विशेष कारण है, तो तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकेगा।
- कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्धोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- अभ्यर्थी को किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया हो तो वह अपात्र माना जायेगा।

-: आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

- [01] आवेदन पत्र, विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर, वह आवेदित पद, जिसके लिये आवेदन किया गया हो, स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर प्रेषित किया जावे। जैसे कि डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। प्रेषित किया जाने वाला आवेदन पत्र, कार्यालय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.) पिन कोड-491226 के पता पर प्रेषित किया जावे। केवल वह आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे, जो कि स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किये गये हों और इस कार्यालय को दिनांक 21.07.2025 की संध्या 05:00 बजे तक प्राप्त हो गये हों। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से तथा दिनांक 21.07.2025 की संध्या 05:00 बजे उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
- [02] आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- [03] आवेदन पत्र के साथ बार काउंसिल द्वारा जारी नामांकन प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, बार एसोसिएशन / काउंसिल द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, 20 सत्र मामलों की सूची मय प्रतिपरीक्षण साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- [04] अभ्यर्थी को लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है।
- [05] जन्मतिथि की सत्यता हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- [06] ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता/विभाग प्रमुख से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- [07] आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो स्वप्रमाणित किया हुआ चस्पा होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्रायविंग लायसंस या पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- [08] पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
- [09] ई-मेल, फैक्स, कोरियर एवं अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- [10] आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
- [11] आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी सही एवं पूर्ण रूप से भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

-- नियुक्ति हेतु चयन विधि:-

डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल :-

- (अ) डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार में सीमित करने के प्रयोजन से उनके स्नातक में प्रप्तांक के प्रतिशत (मेरिट) के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुणा के सीमा के लगभग आवेदकों की छंटनी कर दी जाएगी।
- (ब) डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पद हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जावेगा।

-: चयन एवं प्रतीक्षा सूची :-

- (01) डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पद पर चयन हेतु, साक्षात्कार एवं योग्यता के आधार पर मेरिट अनुसार सूची तैयार करते हुए चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार किया जावेगा।
- (02) प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्याग पत्र देता है या उसे पद मुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से यदि पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उस पद हेतु अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद छ०ग० के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।
- (03) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आयेगा, उनका चयन किया जावेगा।
- (04) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

-: महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (1) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (2) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) का होगा।
- (3) उक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
- (4) चयनित उम्मीदवारों के, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- (5) चयन प्रक्रिया के संबंध में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- (6) यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
- (7) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
- (8) आवेदक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद की वेबसाइट balod.dcourts.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के फोटोग्राफ कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड या ड्रायविंग लायसंस या मतदाता परिचय पत्र या पैनकार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। दक्षता / कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
- (9) आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।
- (10) आवेदकों को पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदकों का पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी जिला न्यायालय के वेबसाइट तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा, जिसे ही अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर अंकित करना है।

-: अन्य महत्वपूर्ण सूचना :-

01. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्हमान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
02. परीक्षा से संबंधित अभिलेख नियमानुसार विनिष्ठीकरण किये जाने योग्य होंगे। नियत अवधि के पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं होगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद, जिला बालोद छ०ग० का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

सही/-

अध्यक्ष

भर्ती एवं चयन समिति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद

जिला-बालोद (छ.ग.)

क्रमशः



**APPLICATION FOR ENGAGEMENT AS FULL TIME
LEGAL AID LAWYER IN LEGAL AID DEFENSE COUNSEL SYSTEM
(APPLICATION FOR DEPUTY CHIEF LEGAL AID
DEFENSE COUNSEL)**

**Affix Your
Recent Passport
Size Photo With
Sign.**

1. Applicant's Name -----
2. Father/Husband's Name : -----
3. Date of Birth : -----
4. Age (as on 01-01-2025) : -----
5. Gender : -----
6. Residential Address : -----
7. Office Address -----
8. Chamber Address(if any) : -----
9. Telephone n. (O) : -----
10. Telephone no. (R) : -----
11. Mobile No. : -----
12. Fax No. : -----
13. E-mail ID : -----
14. PAN No. : -----
15. AADHAR No. : -----
16. Educational Qualification
(Please enclose self-attested copies of documents):

Course	Name of Board/University	Year of Passing	Marks Obtained	Total Marks	Obtained Percentage (aggregate)
Graduation					
Professional Degree LLB					
LLM					
Any Other (if any)					

17. Date of Enrollment as Lawyer: -----
18. Enrollment No. : -----
(Attach self-attested copy of enrollment certificate Issued by Bar Council)
19. Experience in Bar (Duration of actual practice) : -----
(Attach an experience certificate issued by the Bar Association/Council)
- (a) Total no. of cases handled: -----
- (b) Nature of cases handled -----
(Attach extra sheet, if required)
- (c) Specilization, if any : (The details -----
of a few inimportant cases, the Applicants have dealt wtl/handled and reported judgement if any)
20. Whether empanelled as Central/State Government -----
or Government undertaking counsel/pleader
(Indicate period & attach documents) :
21. The Courts where the Applicant is regularly practising -----
(Enclose Bar Association Membership Certificate)
22. Spceify whether earlier remained on the panel of HCLSC/DLSA or TLSC (Indicate period, number of legal aid cases handled & result) (attach documents)
23. Whether any disciplinary case/Complaint is/was against the Applicant with any Bar Council YES NO
(If yes, specify details of both disposed & pending with documents)
24. List of the documents to be attached:-
 1. Self-Attested copy of Certificates in support of educational qualifications.
 2. Self-Attested copy of Certificates in Enrollment issued by the Bar Council under the Advocates act, 1961.
 3. Self-Attested copy of Photo Identity Card, Address Proof.

4. Self-Attested copy of ITR for last 3 years (if available).
5. Photo coples of judgements in 5 Sessions cases, represented as Defense lawyer, (for the post of Deputy Legal Aid Defense Counsel).
6. Photocopies of at least 5 cross examination in Sessions cases (for Deputy Legal Aid Defense Counsel).
7. List of handled at least 20 Criminal trials in Sessions with Photocopies of cross examination.

Date-----

Place-----

Signature of Applicant-----

Name & Address-----

Mobile No-----

E-Mail

(Fill out the mandatory)

DECLARATION

I.....hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found/incorrect at any stage, my candidature is liable to be can celled. I have read and understood the instructions and terms of the engagement and agrees to abide by those. I declare that I fulfil the eligibility conditions for the category to which I am seeking engagement. I declare that I have never been penalised by any Bar Council in any Disciplinary Proceedings. I also undertake to maintain absolute integrity and discipline as required thereun der. I agree with the remuneration structure and all the terms and conditions notified by SLSA/DLSA concerned.

Place:-----

Date:-----

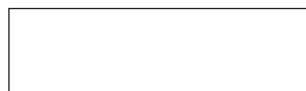
(Signature with Name)

Office of District Legal Services Authority, District Balod (C.G.)**Admit Card****(For Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel)**

Registration No.	:	
Roll No.	:	

**Affix Your
Recent Passport
Size Photo With
Sign**

1. Name of Post Applied for :
2. Applicant's Name :
3. Father/Husband's Name :
4. Category (Gen/OBC/ST/SC)
5. Date of Examination :
6. Time of Examination
7. Examination Centre :

Signature of Examinee**For Office Use Only****For/Chairman, District Legal Services
Authority, Balod, District Balod (C.G.)****Instruction for Examinee**

01. Examinee should appear 1 hour before the scheduled time.
02. Mobile, Smart Watch, Bluetooth & Other Electronic Devices are prohibited in Examination Hall.
03. On the day of the examination, the examinee is required to bring his/her admit card.
04. Information about the Registration no. & Roll no. can be obtained from the official website balod.dcourts.gov.in.

कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित सुकमा

जिला- सुकमा (छत्तीसगढ़) पिन कोड 494111

Website:- www.cgmfpfed.org. E-mail:- mdsukma81@gmail.com

क्रमांक/जि.यू./2025/ 2431

सुकमा दिनांक 30/06/2025

जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा के अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रबंधक के रिक्त पद की भर्ती हेतु निर्धारित सेवा शर्तें, अर्हतायें एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 12.07.2025 से 30.07.2025 समय शाम 05.00 बजे तक कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा (छ.ग.) के नाम से पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्रमांक	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम	पदनाम	कुल रिक्त पद	वर्ग	समिति कार्यक्षेत्र में आने वाले तैदूपत्ता संग्रहण केन्द्र/ग्राम का नाम जहां के निवासी आवेदन पत्र कर सकते हैं।	कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है।
1	2	3	4	5	6	7
1	मुरतोण्डा	प्रबंधक	1 (एक)	अनारक्षित	कांजीपानी (अ), हिकमीरास, बिसठपाल-अ, मुरतोण्डा, कांजीपानी-ब, कडरीकोसम, बिरसठपाल-व, कांजीपानी-स, मुरैपाल, पाईकरामपुरम, रेड्डीपाल, द्वारीपारा, पेरमापारा, रतिनाईकरास, चिपुरपाल, नयापारा, अन्दुमपाल, पोंदुम, बेदरापानी, डुवाकीरास, टोटेर, अरकतोंग, मेसीरास, सुरबीरास एवं कलारपारा।	प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा (छ.ग.)

- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.07.2025 शाम 05:00 बजे तक।
- पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन दिनांक 10.08.2025 किया जावेगा। (जिसे वनमण्डल/जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा के कार्यालय के सूचना पटल पर एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर के वेबसाइट www.cgmfpfed.org एवं कलेक्टर जिला सुकमा के वेबसाइट <https://sukma.gov.in> पर देखा जा सकता है)।
- पात्र/अपात्र अभ्यर्थी के संबंध में दावा आपत्ति हेतु आवेदन दिनांक 15.08.2025 से 20.08.2025 दोपहर 03:00 बजे तक जिला यूनियन कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- प्रबंधक भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर के वेबसाइट www.cgmfpfed.org एवं कलेक्टर जिला सुकमा के वेबसाइट <https://sukma.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति में प्रबंधक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता एवं चयन प्रक्रिया निम्नानुसार

(अ) नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं :-

- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेन्डरी (10+2) उत्तीर्ण होगी।
 - अभ्यर्थी का, संस्था (समिति) क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। (यदि आवेदक समिति क्षेत्र के बाहर का निवासी है एवं तैदूपत्ता उक्त समिति क्षेत्र में संग्रहण किया जाता है तो अपात्र होगा)
 - यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था (समिति) क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो, जिसने नियुक्ति के पूर्व पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तैदूपत्ता संग्रहण कार्य किया हो। आवेदन के साथ तैदूपत्ता संग्रहण कार्ड की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री होना अनिवार्य है, मान्यता प्राप्त संस्था निम्नानुसार रहेंगे :-
- (अ) शासन से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।
- (ब) शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/ माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (02 वर्ष से अन्यून)
- (स) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिम्ड/युनिवर्सिटी / इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा पदत कम्प्यूटर साईस इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि।
- (द) DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

- (ई) कम्प्यूटर विषय में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा (Diploma in Computer Application) DCA I
- निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं आवेदन करने की अंतिम तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद जारी कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - शासकीय अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किये गये समस्त प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न न होने अथवा उक्त दस्तावेजों के स्वप्रमाणित न होने के स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
 - अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।
 - भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित पदेन सहायक पंजीयक सुकमा का निर्णय अंतिम होगा।
- (ब) आयु सीमा :-
- चयन में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित आयु पुरी करनी होगी अर्थात् :-

- 1 जनवरी 2025 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक, अजजा/अजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयंसेवी नगर सैनिकों को छ.ग. शासन के नियमानुसार आयु में शिथिलता प्रदान की जावेगी।
- उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरान्त भी संघ के सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(स) अन्य अर्हतायें :-

- अभ्यर्थी मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
- अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिये कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायाफ्ता न हो।
- छ.ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित/प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के संचालक मण्डल का परिभाषित संबंधी न हो।

(द) चयन प्रक्रिया :-

- प्रबंधक पद पर चयन हेतु कुल 125 अंक निर्धारित किये जाते हैं, जो अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे :-
- (क) 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के बराबर अंक प्रदान किये जायेंगे (अधिकतम 100 अंक)। (उदाहरणार्थ यदि किसी आवेदक को हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 75.5 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 75.5 अंक दिये जायेंगे)
- (ख) स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के अनुपात में 1/5 अंक दिये जायेंगे (अधिकतम 20 अंक) (उदाहरणार्थ 70 प्रतिशत प्राप्तांक को 14 अंक दिये जायेंगे)
- (ग) छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री हेतु अधिकतम 5 अंक दिए जायेंगे। सर्टिफिकेट/डिप्लोमा हेतु 3 अंक एवं उच्चतर डिग्री (यथा-पी. जी. डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि) हेतु 5 अंक दिये जायेंगे।
- (घ) उपयुक्त कंडिका (क) (ख) (ग) के अनुसार जिला यूनियन द्वारा उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची बनाई जायेगी। प्रावीण्य सूची में यदि एक से अधिक

क्रमशः

उम्मीदवारों को बराबर अंक प्राप्त है, तो आयु में वरिष्ठता के आधार पर उम्मीदवार को वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।

(इ) नियुक्ति हेतु प्रक्रिया :-

- कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व प्रबंधक पद के लिए चयनित अभ्यर्थी का पुलिस से सत्यापन अनिवार्य होगा।
 - चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच (शासकीय चिकित्सालय) के मापदंडों में स्वस्थ पाया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी को प्रत्याभूति के रूप में रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार रुपये मात्र) नगद अथवा सावधि जमा अथवा साल्वेंसी के रूप में संस्था में जमा करना होगा।
 - चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर कार्यरत रहेगा। तत्पश्चात कार्य मूल्यांकन उपरांत उसे नियमित किया जावेगा।
- (फ) वेतन - प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्या. रायपुर द्वारा निर्धारित वेतन देय होगा।
- (ग) यात्रा भत्ता- प्रबंधकों को संघ द्वारा स्वीकृत दूरो पर यात्रा भत्ता देय होगा।

प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित
सुकमा

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, सुकमा,

स्वप्रमाणित
फोटो

- आवेदित पदनाम :-----
- समिति का नाम :-----
- आवेदक का नाम :-----
 - पिता/पति का नाम :-----
 - जन्म तिथि :-----
(अंको में) :-----
(शब्दों में) :-----
 - दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में आयु वर्ष-----माह-----दिन-----
 - जाति वर्ग (आ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व./अनारक्षित) -----
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र)
की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
 - स्थायी पता :-----

 - डाक व्यवहार का वर्तमान पता एवं टेलीफोन नम्बर :-----

 - क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है (हां नहीं) -----
(यदि हां, तो प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
 - लिंग (महिला/पुरुष) -----
 - वैवाहिक स्थिति (सही ✓ निशान लगावे) -----

पुरुष			महिला		
विवाहित	अविवाहित	विधुर	विवाहित	अविवाहित	विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा

- यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि -----
- जीवित बच्चों की संख्या -----

- रोजगार कार्यालय का नाम -----
जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक -----
- शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./ संस्था का नाम	कुल प्राप्तांक	श्रेणी	प्राप्तांको का प्रतिशत

- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण किसी-----
पुलिस थाना/न्यायालय में लंबित है अथवा
न्यायालय से निराकृत हो चुका है? यदि हां
तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण
क्रमांक तथा निर्णय आदि की जानकारी का स्पष्ट
रूप से उल्लेख करें।
 - तेन्दूपत्ता संग्रहण की वर्षवार जानकारी

वर्ष 2021		वर्ष 2022		वर्ष 2023		वर्ष 2024		वर्ष 2025	
संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या

- (संग्रहण कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
- आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के दौरान भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

दिनांक-----
स्थान-----

आवेदक के हस्ताक्षर
(सहपत्रों का विवरण (संलग्न किए गए सहपत्र पर सही ✓ का निशान लगावें)

क्रमांक	विवरण	सही ✓
1	छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र	
2	आ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व. वर्ग के उम्मीदवारों का जाति प्रमाण-पत्र	
3	शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र	
3.1	हायर सेकेंडरी (10-2)	
3.2	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	
3.3	मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डिग्री	
4	छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक अ.ज.जा./अ.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयं सेवी नगर सैनिकों को प्रमाण पत्र।	
5	तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड-	
	संग्रहण वर्ष 2021	
	संग्रहण वर्ष 2022	
	संग्रहण वर्ष 2023	
	संग्रहण वर्ष 2024	
	संग्रहण वर्ष 2025	

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम-----
मोबाइल नम्बर-----

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग

पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के पास, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष नम्बर / फ़ैक्स नम्बर-0771-2426356 ई. मेल-icpsraipur@gmail.com

क्रमांक/266/ मबावि/मि.वा/2025-26

रायपुर दिनांक 26/06/2025

रुचि की अभिव्यक्ति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (C) क्रमांक 427 of 2022 Bachpan Bachao Andolan Vs Union of India में पारित आदेश दिनांक 09.10.2023 एवं We the Women of India Vs Union of India & Ors. Writ Petition (s) (Civil) No (s) 1156/2021 तथा Writ Petition No.427 of 2022 Bachpan Bachao Andolan Vs Union of India में पारित आदेश दिनांक 30.07. 2024 के अनुक्रम में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन के क्रियान्वयन हेतु जिला रायपुर में सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट किया जाना है। इस हेतु इच्छुक, अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति / संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

सपोर्ट पर्सन हेतु निर्धारित योग्यताएं निम्नानुसार होगी:-

- व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में आवेदक के पास समाज कार्य (Social Work) या समाजशास्त्र (Sociology) या मनोविज्ञान (Psychology) या बाल विकास (Child Development) विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या बाल शिक्षा और विकास या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री हो।
- स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवेदन करने की स्थिति में संबंधित संस्था बाल अधिकार या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष से कार्यरत हो।

जिलों में सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनलड होने के इच्छुक व्यक्तियों/अशासकीय संस्था / संगठन निर्धारित प्रारूप में अपनी रुचि की अभिव्यक्ति को दिनांक 27.07.2025 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुराना पुलिस मुख्यालय के बाजू रायपुर में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कुरियर के माध्यम से जमा कर सकते हैं। रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रारूप, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी, पत्राचार का पता एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण रायपुर की वेबसाईड WWW.raipur.gov.in में देखी जा सकती है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों में सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट किये जाने हेतु इच्छुक, अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति संस्थाओं से दिनांक-----तक निर्धारित प्रपत्र में रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त इम्पैनलमेंट के लिये रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के पास, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.) को प्रेषित करना होगा।

पदों आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है-

- सपोर्ट पर्सन हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य अनुभव**
 - व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में आवेदक के पास समाज कार्य (Social Work) या समाज शास्त्र (Sociology) या मनोविज्ञान (Psychology) या बाल विकास (Child Development) विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या बाल शिक्षा और विकास या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री हो।
 - स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवेदन करने की स्थिति में संबंधित संस्था बाल अधिकार या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष से कार्यरत हो।
- व्यक्तिगत आवेदकों हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण**
 - शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
 - निवास अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ एवं उस जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जहां के लिए आवेदन किया जा रहा है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया

निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

2.3 अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है:-

- 2.3.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।**
- 2.3.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।**
- 3. स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आवेदन करने पर आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार होंगे-**
 - संस्था / संगठन चलाने के लिए आवश्यक सुसंगत अधिनियम (सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम) के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र, उपनियम, संस्था का ज्ञापन।
 - संस्था / संगठन चलाने के लिए अवधि की वैधता तिथि की जानकारी एवं शासी निकाय का संकल्प पत्र।
 - नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
 - यदि संगठन अखिल भारतीय स्तर का है तो अन्य राज्यों में शाखाओं की जानकारी।
 - संस्था / संगठन की प्रबंधन समिति शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची एवं अद्यतन जानकारी यथा-पता संपर्क क्रमांक, ई-मेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता आदि।
 - वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति।
 - संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - अनुदान सहायता की निधि के स्रोतों की सूची।
 - संस्था/संगठन के वर्तमान बैंक खाता, ब्रांच कोड एवं खाते का विवरण।
 - पिछले 03 वर्षों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, आय और व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, संगठन का तुलन-पत्रक की प्रति।
 - बाल अधिकार / बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव एवं बालकों के पुनर्वास के लिए किए गये कार्यों की जानकारी।
 - संस्था / संगठन के पदाधिकारियों एवं स्टॉफ का अद्यतन पुलिस सत्यापन की जानकारी।
- 4. व्यक्तिगत आवेदक के इम्पैनलमेंट हेतु चयन प्रक्रिया**
 - जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अर्हता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
 - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईड लाइन की कडिका-3.2.3 iii में उल्लेखित चयन समिति द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर सपोर्ट पर्सन हेतु नामों के पैनल की अनुशंसा की जावेगी।
 - उपरोक्त चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का इम्पैनलमेंट किया जावेगा।
 - सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनलमेंट की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी। प्रति वर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। 03 वर्ष से अधिक इम्पैनलमेंट अवधि के विस्तार हेतु जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्य मूल्यांकन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन उपरांत अवधि में विस्तार किया जा सकेगा।
 - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईड लाइन की कडिका-32.3.vii में सपोर्ट पर्सन की सेवाओं हेतु पारिश्रमिक (मासिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता) संबंधी प्रावधान है। तदनुसार मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 (1948 का 11) अनुसार कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित राशि अनुसार कार्य के समानुपातिक आधार पर मानदेय एवं वास्तविक आधार पर यात्रा व्यय देय होगा।
 - जिले में इम्पैनल किए जाने वाले सपोर्ट पर्सन की संख्या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन की कडिका-3.2.3. viii में किए गये प्रावधान अनुसार होगी।
 - सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार

क्रमशः

- संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन की कंडिका-3.2.3.IX अनुसार जेन्डर संबंधी बिन्दु का ध्यान रखा जावेगा।
- 4.8 सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-30 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईड लाईन की कंडिका-32.3.x अनुसार इम्पैनलमेंट हेतु चयनित व्यक्ति का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। पुलिस सत्यापन के उपरांत ही इम्पैनलमेंट किया जावेगा।
- 4.9 सपोर्ट पर्सन का कार्यदायित्व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन की कंडिका-3.3 अनुसार होगा।
- 4.10 इम्पैनलमेंट के पश्चात भी यदि किसी आवेदक द्वारा निर्धारित अर्हताओं का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो संबंधित आवेदक का इम्पैनलमेंट निरस्त किया जाएगा।
- 4.11 किसी व्यक्ति के सपोर्ट पर्सन के रूप में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन की कंडिका-3.6 के प्रावधान अनुसार संबंधित व्यक्ति के सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनलमेंट समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।
- 4.12 सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनलड व्यक्ति द्वारा किसी शासकीय पद/नौकरी हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा।
5. अशासकीय संस्था संगठन के इम्पैनलमेंट हेतु चयन प्रक्रिया:-
- 5.1 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन की कंडिका-323 (iii) में उल्लेखित चयन समिति के समक्ष आवेदन करने वाली संस्था का प्रस्तुतीकरण कराया जा सकता है।
- 5.2 संस्थाओं की स्क्रीनिंग के लिए निम्नानुसार मापदंड रखे जा सकते हैं-
- 5.2.1 कार्य अनुभव 05 वर्ष तक के अनुभव के लिए 02 अंक, 05 वर्ष के उपरांत प्रति वर्ग के लिए 02 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक देय होंगे।
- 5.2.2 स्टाफ स्ट्रेंथ वर्तमान उपलब्ध अमले की संख्या एवं सपोर्ट पर्सन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले अमले की संख्या के आधार पर अधिकतम 10 अंक।
- 5.2.3 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021, पाक्सो अधिनियम 2012 के क्रियान्वयन के संबंध में कार्य अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक।
- 5.2.4 प्रस्तुतीकरण के दौरान मूल्यांकन कर अवधारणात्मक स्पष्टता के संबंध में अधिकतम 10 अंक।
- ब्लैक लिस्टेड व विधि विवादित संस्थाओं को इम्पैनल न किया जावे।
 - अशासकीय संस्था/संगठन द्वारा सपोर्ट पर्सन के रूप में जिस व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करायी जावे उसमें यह सुनिश्चित किया जावे कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन में उल्लेखित समस्त अर्हताएं पूर्ण करता हो। ब्लैक लिस्टेड व विधि विवादित संस्थाओं को इम्पैनल न किया जावे।
6. अशासकीय संस्था/संगठन के इम्पैनलमेंट की स्थिति में सस्था हेतु कोई शुल्क / राशि देय नहीं होगी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन की कंडिका-3.2.3 vii में सपोर्ट पर्सन की सेवाओं हेतु पारिश्रमिक (मासिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता) संबंधी प्रावधान है। संस्था द्वारा सपोर्ट पर्सन के रूप में जिस व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी, उन्हें उक्त पारिश्रमिक वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार देय होगा।
7. आवेदन के संबंध में निर्देश:-
- 7.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाये। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- 7.2 लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- 7.3 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।
- 74 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।
- 7.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

- 7.6 आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली गलत पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
8. चयन संबंधी विवाद की दशा में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।
9. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट <https://raipur.gov.in/> पर देखी जा सकती है।
10. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता ई-मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जाये ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।
- टीप:- 1. दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-रायपुर (छ०ग०)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित
पारापोर्ट साईज फोटो पर
हस्ताक्षर जिसका आधा
भाग फोटो एवं आधा
आवेदन पत्र में होना चाहिए
चस्पा करें।

1. आवेदित पद का नाम एवं संस्था का नाम :-----
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-----
(अंग्रेजी में) :-----
3. पिता/पति का नाम :-----
4. स्थायी पता :-----
5. (पत्र व्यवहार का पता) :-----
6. जन्मतिथि (अंकों में) :-----
(शब्दों में) :-----
7. दिनांक 01/01/2015 को आयु :-----
8. लिंग पुरुष/महिला :-----
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति-----वर्ग-----
10. क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय :-----
संस्था में सेवारत है ? :-
11. विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यक्ता :-----
12. यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :-
13. शैक्षणिक योग्यता (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / संस्था का नाम	प्राप्तांक /पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरण -----
15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

क्रमशः



16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची -

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. जन्म तिथि हेतु 10 वीं अंकसूची / प्रमाण पत्र
3. 12 वीं की अंकसूची
4. स्तानक की अंकसूची
5. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

- 1-----
- 2-----
- 3-----

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम-----

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान-----

दिनांक-----

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट हेतु स्वयं सेवी संस्थान संगठन हेतु अभिरूचि का प्रस्ताव के लिए आवेदन पत्र
प्रारूप

1. स्वयं सेवी संस्था/संगठन हेतु प्रस्ताव करने वाले आवेदक/संस्थान का विवरण

- 1.1 संस्था का प्रकार-----
- 1.2 संस्था/संगठन का नाम-----
- 1.3. सुसंगत अधिनियम के अधीन संस्थान / संगठन के पंजीकरण की तिथि और संख्या (संलग्न करें- पंजीकरण से तथा संबंधित दस्तावेज और उप-नियम संस्था का ज्ञापन)-----
- 1.4 संस्था / संगठन चलाने के लिए अवधि की वैधता तिथि-----
- 1.5 आवेदक/संस्थान / संगठन का पूरा पता-----
- 1.6 एसटीडी कोड / दूरभाष संख्या-----
- 1.7 एसटीडी कोड / फैक्स संख्या-----
- 1.8 ई-मेल पता-----
- 1.9 क्या यह संगठन अखिल भारतीय स्तर का है यदि हां तो अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं दें-----
- 1.10 क्या इससे पूर्व संस्था / संगठन का पंजीकरण करने से मना किया गया है? जी हाँ/ नहीं-----
- 1.11 यदि मना किया गया हो तो निम्नलिखित विवरण देवे -
(क) मनाही की तारीख
(ख) किस विभाग द्वारा पंजीकरण करने के लिए मना किया गया है

2. स्टाफ व्यवस्था

- 2.1 स्टाफ सूची का ब्यौरा
- 2.2 स्टाफ की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव
- 2.3 संगठन के साझेदार
- 2.4 संगठन के प्रभारी का नाम

3. आवेदक की पृष्ठभूमि (संस्था/संगठन)

- 3.1 पिछले 02 वर्षों में संगठन की मुख्य गतिविधियां / क्रियाकलाप
(क) (वार्षिक रिपोर्ट की प्रगति संलग्न करें)
- 3.2. प्रबंध समिति / शासकीय निकाय के सदस्यों की अध्यतन सूची संलग्न करें
(वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति लगाए)
- 3.3. परिसंपत्तियों की सूची / संगठन की अवसंरचना
- 3.4. क्या संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का विवरण (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)

- 3.5. पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का ब्यौरा (संबंधित दस्तावेज संलग्न)
- 3.6. अनुदान सहायता की निधि के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो) स्कीम / परियोजना /उद्देश्य राशि आदि के साथ पृथक रूप से।
- 37 अभिकरण के वर्तमान बैंक खाता का विवरण, ब्रांच कोड, खाता संख्या सहित
- 3.8 पिछले तीन वर्षों के खातों की प्रतिलिपि संलग्न करें रू :-
3.8.1 लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
3.8.2 आय और व्यय लेखा
3.8.3 प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
3.8.4 संगठन का तुलन-पत्रक
3.9 दर्पण पोर्टल आईडी कमांक

मैं घोषणा करता हूँ कि संगठन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इससे पूर्व दण्डित नहीं किया गया है या वह एक किसी अनैतिक कार्य या किसी ऐसे बालक बाल दुर्व्यवहार या बाल श्रम नियोक्ता कार्य में संलग्न रहा है और संगठन को किसी भी समय केन्द्र या राज्य सरकार की सूची से बाहर नहीं किया गया है।

मैं इस संबंध में शपथ लेता हूँ कि मैं केन्द्र / राज्य सरकार के अधिनियम, नियमों दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करूंगा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :-----

पदनाम :-----

पता :-----

जिला:-----

तिथि :-----

कार्यालय मुहर :-----

हस्ताक्षर :-----

साक्षी नंबर 1 :-----

साक्षी नंबर 2 :-----

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

सत्र 2026-27 से नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने तथा पूर्व संचालित संस्थाओं द्वारा नवीन विषय / संकाय / पाठ्यक्रम / सीट वृद्धि प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बाबत।
अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025

छ.ग. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत समितियाँ यदि वर्ष 2026-27 से उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए नई संस्था (नवीन अशासकीय महाविद्यालय) प्रारंभ करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व संचालित संस्थाएँ नया विषय संकाय, नया पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री प्रारंभ करने या उच्चतर कक्षाएं प्रारंभ करने के इच्छुक हैं, ऐसी संस्थाएं दिनांक 01.07.2025 से 31.07.2025 के मध्य निर्मित बैंक चालान राशि 5000/- रू. (चालान जमा करने लिए मुख्य शीर्ष 0202-शिक्षा खेल कला और संस्कृति, 01-सामान्य शिक्षा, 203-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, ट्यूशन और अन्य शुल्क, 800-अन्य प्राप्तियां) की मूल प्रति सहित अथवा दिनांक 01.07.2025 से 31.07.2025 के मध्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त, उच्च शिक्षा के नाम पर निर्मित बैंक ड्राफ्ट राशि 5000/-रू. जो रायपुर में देय हो, के साथ अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में दिनांक 31.07.2025 के सायं 05:30 बजे तक जमा कर सकते हैं।

नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने तथा नवीन कक्षा/संकाय/अतिरिक्त विषय / सीट वृद्धि हेतु निर्धारित आवेदन प्रारूप विभाग के वेबसाइट www.highereducation.cg.gov.in के Notice Board अंतर्गत Advertisement में जाकर प्राप्त की जा सकती है। अपूर्ण आवेदन एवं अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर, नवा रायपुर



श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय

माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विकास और प्रगति पथ पर
विकास और प्रगति पथ पर
छत्तीसगढ़

देश में धान की सर्वाधिक
किस्मों वाला राज्य

प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता
में देश का सबसे संपन्न राज्य

जैव विविधता के साथ हरियाली
में अग्रणीय राज्य

कोयला उत्पादन में देश का
दूसरा सबसे बड़ा राज्य

देश के कुल सीमेंट उत्पादन में
20% का योगदान देने वाला राज्य

लौह अयस्क उत्पादन में देश
का दूसरा सबसे बड़ा राज्य

देश में तीन धातु का नंबर वन
उत्पादक राज्य

सरप्लस बिजली उत्पादन
के साथ देश का पावरहाउस



हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से
जुड़ने के लिए Q.R. Code
स्कैन करें



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

उच्च शिक्षा की राह अब हुई आसान

एजुकेशन लोन पर मिल रहा
ऋण ब्याज अनुदान

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना

(अधिक जानकारी के लिए)

<https://industries.cg.gov.in> पर विजिट करें)

सुशासन से समृद्धि की ओर

हमसे जुड़ने के लिए



QR स्कैन करें

Visit us : [f ChhattisgarhCMO](#) [x ChhattisgarhCMO](#) [@ ChhattisgarhCMO](#) [ChhattisgarhCMO](#) [f DPRChhattisgarh](#) [x DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)

छत्तीसगढ़
सर्वजनिक

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित,
छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो